

कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन बल प्रमुख) राजस्थान,

अरण्य भवन, झालाना सांस्थानिक क्षेत्र, जयपुर-302004

ई-मेल:-ccf.fca.rajasthan@gmail.com Tel. No. 0141-2713949

क्रमांक: एफ. 14()2014 / बारां रोड्स / एफसीए / प्रमुखसं. / 177

दिनांक 15/01/2025

विशिष्ट शासन सचिव,

वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय,

राजस्थान सरकार,

शासन सचिवालय, जयपुर

विषय:-जलवाड़ा से किशनपुरा तक सड़क निर्माण हेतु 2.96 हेक्टर वन भूमि के प्रत्यावर्तन के क्रम में (प्रस्ताव सं. FP/RJ/ ROAD/ 6954/2014)

संदर्भ:-भारत सरकार पर्यावरण वन, एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय (मध्य) के पत्रांक 8बी/राज0/06/04/2015/एफ.सी./254 दि. 23.08.2016

महोदय,

उपर्युक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र से जारी सैद्धान्तिक स्वीकृति की बिन्दुवार पालना रिपोर्ट मुख्य वन संरक्षक, कोटा के पत्र दिनांक 14.6.2019 एवं दिनांक 19.12.2024 से प्राप्त हुयी है प्राप्त पालना के आधार पर सैद्धान्तिक स्वीकृति की अनुपालना निम्नानुसार है:-

शर्त संख्या	आक्षेप	प्रत्युत्तर
1	वन भूमि की वैधानिक स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होगा।	वन भूमि की वैधानिक स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं किया जायेगा। इस सन्दर्भ में यूजर एजेसी की वचन बद्धता संलग्न है।
2	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वन विभाग के पक्ष में प्रभावित वन क्षेत्र के समतुल्य गैर वनभूमि अर्थात् 2.96 है० पर क्षतिपूरक वृक्षारोपण एवं 10 वर्षों तक रखरखाव हेतु आवश्यक धनराशि (प्रचलित दरों को समाहित करते हुए यथासंशोधित) रुपये 3.82,284/- (2.96 है० Rs. 1,29,150 प्रति है०) कैम्पा नई दिल्ली में जमा की जाएगी।	शर्त की पालना के क्रम में यूजर एजेन्सी द्वारा ग्राम बिलेण्डी में समतुल्य गैर वन भूमि 2.96 है० वन विभाग को उपलब्ध करा दी गयी है। जिसका वन विभाग के पक्ष में नामान्तरण खोला जाकर वनखण्ड नियाणा के नाम अधिसूचित करा लिया गया है (प्रति संलग्न है।) यूजर एजेन्सी द्वारा प्रभावित वन क्षेत्र के समतुल्य गैर वन भूमि अर्थात् 2.96 है० पर क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण एवं 10 वर्षों तक रख-रखाव हेतु आवश्यक धन राशि (वर्तमान दरों पर) पर निम्नानुसार जमा करायी गयी है। 1. 485736.00 दिनांक 23.04.2019 2. 100344.00 दिनांक 05.3.2024 कुल राशि 586080.00 जरिये ई चालान कैम्पा खाते नई दिल्ली में जमा कराये जा चुके हैं। जमा रसीद की प्रति संलग्न है।

3	क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु जो समेकित क्षेत्र (103.4 है0) लिया गया है, उसका डिजिटल मानचित्र नोडल अधिकारी द्वारा अपलोड किया जाएगा।	क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु समेकित क्षेत्र (103.4 है0) का डिजिटल मानचित्र संलग्न है।
4	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय के रिट पिटीशन (सिविल) 202/1995 के अन्तर्गत आई0 ए0 संख्या 566 एवं भारत सरकार के पत्र संख्या 5-3/2007-एफ0 सी0 दिनांक 05.02.2009 के तहत में दिये गये आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन.पी.बी.) की निर्धारित राशि रुपये-18.52 लाख (2.96 है0 Rs.6.26 लाख प्रति है0) में जमा की जाएगी।	शर्त संख्या 4 के तहत यूजर ऐजेन्सी द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय के रिट पिटीशन (सिविल) 202/1995 के अन्तर्गत आई0ए0 संख्या 566 एवं भारत सरकार के पत्र संख्या 5-3/2007-एफ0सी0 दि. 05.02.2009 के तहत में दिये गये आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन.पी.बी.) की निर्धारित राशि रुपये निम्नानुसार जमा करा दी गयी है। 1. 1852960.00 (दिनांक 23.04.2019 को प्रचलित दर 626000.00 अनुसार) 2. 982069.00 (दिनांक 05.03.2024 को वन संरक्षण एवं संवर्धन अधिनियम निर्देशिका 2023 के पैरा 3.3 के कम में अंतर राशि) कुल राशि 2835011.00 जरिये ई चालान केम्पा नई दिल्ली में जमा करायी जा चुकी है। रसीद की प्रति संलग्न है।
5	विधिवत् स्वीकृति के बाद प्रस्तावित वन क्षेत्र का सीमा स्तम्भों द्वारा सीमांकन प्रयोक्ता अभिकरण के व्यय पर किया जाएगा। यह सीमांकन 4' फीट ऊँचे आर0सी0सी0 पीलरों से किया जाएगा। जिसमें प्रत्येक पीलर पर क्रमांक, डी0जी0पी0एस0 निर्देशांक क Backword and Forward bearing एवं अपने निकटवर्ती पीलरों से दूरी दर्शायी जाएगी।	शर्त संख्या 5 के कम में वन क्षेत्र में 4 फिट ऊँचे आर.सी.सी. पिल्लरों द्वारा सीमांकन कर आवश्यक सूचना सहित अंकित करने यूजर ऐजेन्सी की वचनबद्धता संलग्न है।
6	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा मक डिस्पोजल योजना प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा स्वीकृत कराकर इस कार्यालय को प्रेषित की जायेगी।	शर्त सं. 6 के तहत यूजर ऐजेन्सी द्वारा अवगत कराया गया कि सड़क में कोई कटिंग प्रस्तावित नहीं है, सड़क निर्माण सामग्री बाहर से परिवहन कर लायी जानी है। इस प्रकार सड़क निर्माण के दौरान किसी तरह का मक उत्पादित नहीं होगा। अतः शर्त सं. 6 की अनुपालना में मक डिस्पोजल योजना की आवश्यकता नहीं होगी। यूजर ऐजेन्सी की वचनबद्धता संलग्न है।
7	प्रयोक्ता अभिकरण इस आशय का वचनबद्धता पत्र प्रस्तुत करेंगे कि आई0आर0सी0 के मानकों के अनुरूप तथा माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण (NGT) सैट्रल जोन बैंच, भोपाल द्वारा प्रार्थना पत्र संख्या -27/2015 बाबूलाल, जाजू बनाम राजस्थान सरकार में दिनांक 16.11.2015 में दिये गये आदेश की अनुपालना में	शर्त सं. 7 की अनुपालना में सड़क के दोनों तरफ तथा Median पर (यदि उपलब्ध है तो) वन विभाग की निगरानी में वृक्षारोपण किया जायेगा, यूजर ऐजेन्सी द्वारा अवगत कराया गया है कि वृक्षारोपण का प्रावधान विभाग के स्वीकृत तकमीने में नहीं लिया गया है। यूजर ऐजेन्सी की वचनबद्धता संलग्न है।

	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा स्वयं के व्यय पर वन विभाग की निगरानी में सड़क के दोनों तरफ तथा Median पर (यदि उपलब्ध है तो) वृक्षारोपण किया जाएगा।	
8	प्रयोक्ता अभिकरण एवं राज्य सरकार वर्तमान तथा भविष्य में योजना पर लागू सभी नियम, कानून तथा दिशा निर्देशों का पालन करेगी।	शर्त संख्या 8 के तहत प्रयोक्ता अभिकरण एवं राज्य सरकार वर्तमान तथा भविष्य में योजना पर लागू सभी नियम, कानून तथा दिशा-निर्देशों की पालना हेतु अण्डर टेकिंग प्रस्तुत की गई। प्रति संलग्न है। प्रस्ताव में यूजर ऐजेन्सी द्वारा वन संरक्षण एवं संवर्धन अधिनियम, 1980 का उलंघन होना पाया गया। तदनुसार प्रचलित वन संरक्षण एवं संवर्धन अधिनियम, निर्देशिका 2023 के पैरा 1.16 (1) के क्रम में दण्डात्मक राशि रु.1405868 कैम्पा मद नई दिल्ली में दिनांक 05.08.2024 को चालान द्वारा कैम्पा में ऑनलाईन जमा करा दी गई है। (प्रति संलग्न है।
	भारत सरकार द्वारा जारी सैद्धान्तिक स्वीकृति की प्रति 2 दैनिक समाचार पत्रों (हिन्दी व अंग्रेजी) में प्रकाशित करा समाचार पत्रों की प्रति इस कार्यालय को भिजवाये।	संलग्न कर दी गई है।

संलग्न:-उक्तानुसार।

भवदीय,

(के.सी.ए. अरुण प्रसाद)
प्रधान मुख्य वन संरक्षक,
एवं नोडल अधिकारी एफसीए,
राजस्थान, जयपुर

दिनांक

क्रमांक: एफ. 14()2014/बारां रोड्स/एफसीए/प्रमुवसं./
प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. मुख्य वन संरक्षक, कोटा।
2. उप वन संरक्षक, बारां।
3. अधिशाषी अभियंता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, खण्ड-शाहाबाद जिला बारां

(दिनेश कुमार गुप्ता)
उप वन संरक्षक (एफ.सी.ए.)
अरण्य भवन, जयपुर

कार्यालय संभागीय मुख्य वन संरक्षक कोटा

Add. Near Chambal Rest House, Kishorpur Kotla- 324009 E-Mail:- ccffdp.kota@gmail.com Tel. no. 0744- 2500194

क्रमांक एफ()एफसीए/समुवसं/2024-25/7562

दिनांक: 19.12.2024

निमित्त:-

प्रधान मुख्य वन संरक्षक
प्रोटेक्शन एवं नोडल अधिकारी
(एफसीए), राजस्थान, जयपुर।

विषय:- जलवाड़ा से किशनपुरा तक सड़क निर्माण हेतु 2.96 हेक्टर वन भूमि के प्रत्यावर्तन के क्रम में। Proposal No :-FP/RJ/ROAD/6954/2014

प्रसंग:- उप वन संरक्षक, बारां का पत्रांक 6817 दिनांक 10.07.2024 एवं आपका पत्रांक 1489 दिनांक 11.06.2024 के क्रम में।

S. No.	EDS	Reply
1	आप द्वारा पालना सीधे ही बिना अपनी बिन्दुवार पालना के प्रेषित की गयी है जो कि उचित नहीं है। भारत सरकार द्वारा जारी सैद्धान्तिक स्वीकृति की पूर्ण बिन्दुवार पालना प्रेषित करें।	उवसं, बारां के पत्र क्रमांक 5847 दिनांक 24.05.2024 को बिन्दुवार पालना रिपोर्ट मय अण्डरटैकिंग संलग्न प्रेषित है।
2	प्रस्ताव में दिनांक 23.08.2016 को सैद्धान्तिक स्वीकृति जारी की गयी है। लगभग पालना 8 वर्षों बाद पालना भेजी गयी है। पालना प्रेषित करने में हुए विलम्ब का कारण स्पष्ट करें। उप वन संरक्षक, बारां की बिन्दुवार पालना एवं No Violation Certificate अप्राप्त है।	प्रस्ताव में दिनांक 04.08.2016 को सैद्धान्तिक स्वीकृति जारी की गई है। सैद्धान्तिक स्वीकृति की अनुपालना में केम्पा मद में जमा कराजी जाने वाली राशि की राज्य सरकार से स्वीकृति एवं साख सीमा माह अप्रैल में 2019 में प्राप्त हाने के कारण यूजर एजेन्सी द्वारा पालना रिपोर्ट प्रेषित करने में विलम्ब हुआ। उक्त प्रकरण में दिनांक 19.08.2020 में एफसीए का उल्लंघन हो चुका है। MOEF पत्र दिनांक 29 जनवरी 2018 के अनुसार उवसं, बारां के पत्र क्रमांक 520 दिनांक 22.01.2024 को दण्डात्मक राशि जमा कराने हेतु यूजर एजेन्सी को डिमान्ड नोट जारी किया गया था जिसके क्रम में यूजर एजेन्सी द्वारा Violation स्वीकृत करने का पत्र दिनांक 04.03.2024 को चालान की प्रति संलग्न है। Signature valid का प्रश्न नहीं उठता है।
3	NGT आदेशों के प्रति सैद्धान्तिक स्वीकृति को अखबार में छाया (प्रकाशित) कर प्रति संलग्न की जानी है।	NGT आदेशों के प्रति सैद्धान्तिक स्वीकृति को अखबार में छाया (प्रकाशित) कर प्रति संलग्न की जानी है। Designation: Chief Conservator Of Forests Date: 2024.12.19 17:58:53 IST Reason: Approved
4	प्रकरण में प्राप्त गैर वन भूमि की	प्रकरण में प्राप्त गैर वन भूमि 103.4 है।

	नोटिफिकेशन प्रति संलग्न नहीं है।	ग्राम बिलेन्डी तहसील अन्ता में प्राप्त हुई है। जिसके नोटिफिकेशन के प्रस्ताव दिनांक 12.06.2024 को वनखण्ड नियाणा के रूप में नोडल अधिकारी fca को प्रेषित किये गये।
5	समेकित 103.4 है. का डिजीटल मानचित्र संलग्न नहीं है।	पूर्व में प्रेषित सैद्धान्तिक स्वीकृति की पूर्ण बिन्दुवार पालना के साथ संलग्न है।

संलग्न:- उपरोक्तानुसार

भवदीय,

(रामकरण खैरवा)
संभागीय मुख्य वन संरक्षक
कोटा
दिनांक 19/12/2024

क्रमांक 0 एफ ()/एफ.सी.ए./समुवसं/2024-25/ 7563
प्रतिलिपि:- निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-
2 उप वन संरक्षक, बारां।

संभागीय मुख्य वन संरक्षक
कोटा

Signature valid

Digitally signed by Ram Karan Khairwa
Designation : Chief Conservator Of
Forest
Date: 2024.12.19 15:58:53 IST
Reason: Approved

कार्यालय उप वन संरक्षक, बारां

E-mail-def.brn.forests@rajasthan.gov.in, Tel.No. 07453 230244

क्रमांक 0 एफ ()/एफ सी ए/ उ.व.स./2024-25/ 6817

दिनांक 10-7-24

निमित्त:-

संभागीय मुख्य वन संरक्षक,
कोटा।

विषय - जलवायु से किशनपुरा राडक निर्माण के वन भूमि प्रत्यावर्तन के प्रस्ताव।
Proposal no.FP/RJ/ROAD/6954 /2014 (2.96 ha)

संदर्भ - प्रधान मुख्य वन संरक्षक, FCA नोडल अधिकारी राज 0 जयपुर के पत्र क्रमांक 1489
दिनांक 11.06.2024 के कम में। एवं आपका पत्र क्रमांक 3750 दिनांक
09.07.2024 के कम में। तथा इस कार्यालय का पत्र क्रमांक 5847
दिनांक 24.05.2024 के कम में।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित से चाही गई सूचनाएं निम्नानुसार प्रेषित हैं।

S.N	EDS	REPLY
1	आप द्वारा पालना सीधे ही बिना विन्दुवार पालन के प्रेषित की गई है। जो कि उचित नहीं है। भारत सरकार द्वारा जारी सैद्धान्तिक स्वीकृति की पूर्ण विनदुवार पालना प्रेषित करें।	इस कार्यालय के पत्र क्रमांक 5847 दिनांक 24.05.2024 को विन्दुवार पालना रिपोर्ट मय अपडेटेड एवं इस कार्यालय कि टिप्पणी के साथ हार्ड प्रति में (संभागीय मुख्य वन संरक्षक कोटा) को भिजवाई गई है।
2	प्रस्ताव में दिनांक 23.08.20216 को सैद्धान्तिक स्वीकृति जारी की गई है। लगभग पालना 8 वर्षों बाद भेजी गई है। पालना प्रेषित करने में हुए विलम्ब का कारण स्पष्ट करें। उप वन संरक्षक बारा की विन्दुवार पालना एवं NO Violation Certificate अप्राप्त है।	प्रस्ताव में दिनांक 04.08.20216 को सैद्धान्तिक स्वीकृति जारी की गई है। सैद्धान्तिक स्वीकृति की अनुपालना में केम्पा मद में जमा करायी जाने वाली राशि की राज्य सरकार से स्वीकृति एवं साथ सीमा माह अप्रैल में 2019 में प्राप्त होने के कारण यूजर एजेन्सी द्वारा पालना रिपोर्ट प्रेषित करने में विलम्ब हुआ। उक्त प्रकरण में दिनांक 19.08.2020 में FCA का उत्त्तंघन हो चुका है। MOEF के पत्र दिनांक 29.जनवरी 2018 के अनुसार इस कार्यालय के पत्र क्रमांक 520 दिनांक 22.01.2024 को दण्डात्मक राशि जमा कराने हेतु यूजर एजेन्सी को डिमान्ड नोट जारी किया गया था जिराके कम में यूजर एजेन्सी

RajKaj Ref
8910419



		द्वारा Violation स्वीकृत करने के परवात दिनांक 04.03.2024 को चालान द्वारा राशि जमा करा दी गई है। चालान की प्रति संलग्न है। अतः NO Violation Certificate का प्रशन नहीं उठता है।
3	NGT आदेशों कि प्रति सौद्वान्तिक स्वीकृति को अखवार में छाया प्रति (प्रकाशित) कर प्रति संलग्न की जानी है।	NGT आदेशों कि प्रति सौद्वान्तिक स्वीकृति को अखवार में छाया प्रति (प्रकाशित) कर पूर्व में दिनांक 24.05.2024 को प्रेषित की गई है।
4	प्रकरण में प्राप्त गैर वन भूमि के नोटिफिकेशन कि प्रति संलग्न नहीं है।	प्रकरण में प्राप्त गैर वन भूमि 103.4 हे० ग्राम विलेन्डी तहसील अन्ता में प्राप्त हुई है। जिसके नोटिफिकेशन के प्रस्ताव दिनांक 12.06.2024 को वन खण्ड नियाणा के रूप में नोडल अधिकारी FCA को प्रेषित किये गये हैं।
5.	समेकित 103.4 हे० का डिजीटल मानचित्र संलग्न नहीं है।	पूर्व में प्रेषित सौद्वान्तिक स्वीकृति की पूर्ण विन्दुवार पालना के साथ दिनांक 24.05.2024 को भिजवा दिये गये हैं।

(अनिल यादव)
उप वन संरक्षक
बारां

क्रमांक० एफ ()/एफ.सी.ए./उ.व.स./2024 -25/ 6818-19 दिनांक 10-7-24
प्रतिलिपि:- निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-
1. प्रधान मुख्य वन संरक्षक, FCA नोडल अधिकारी राज० जयपुर।
2. अधिशायी अभियन्ता सावजनिक निर्माण विभाग खण्ड शाहवाड।

(अनिल यादव)
उप वन संरक्षक
बारां

RajKaj Ref
8910419

कार्यालय उप वन संरक्षक, बारां

E-mail-dcf.brn.forest@rajasthan.gov.in, Tel.No., 01451-230244

क्रमांक 0 एफ ()/एफ.सी.ए./ उ.व.स./2023-24/ 5847

दिनांक 24-5-2024

निमित्त:-

समाग्रीय मुख्य वन संरक्षक,
कोटा।

विषय :- जलवाडा से किशनपुरा सड़क निर्माण के वन भूमि प्रत्यावर्तन के प्रस्ताव।
Proposal no.FP/RJ/ROAD/6954/2014 (2.96 ha)

संदर्भ - अधिशापी अभियन्ता सार्वजनिक निर्माण विभाग खण्ड शाहवाड के पत्र क्रमांक 54 दिनांक 18.04.2024 के कम में।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जल परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय लखनऊ के पत्र क्रमांक 254 दिनांक 23.08.2016 को प्रकरण में सौदानीक स्वीकृति जारी की गई है। यूजर एजेन्सी द्वारा पत्र क्रमांक 54 दिनांक 18.04.2024 को स्वीकृति में अंकित शर्तों को विन्दुवार चालना रिपोर्ट निम्नानुसार प्रेषित है :-

शर्त संख्या 1	वन भूमि की वैधानिक स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होगा।	शर्त संख्या 1 के तहत वन भूमि की वैधानिक स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं किया जायेगा। इस संदर्भ में अन्डर टेकिंग प्रस्तुत है। प्रकरण यूजर एजेन्सी द्वारा 2.96 है० गैर वन भूमि विभाग के नाम आवंटित करा दी गई। जमाबन्दी की नकल एवं नामान्तरण की प्रति संलग्न है।
शर्त संख्या 2	प्रयाक्ता अभिकरण द्वारा वन विभाग के पक्ष में प्रभावित वन क्षेत्र के समतुल्य गैर वन भूमि अर्थात् 2.96 है० पर क्षतिपूर्क वृक्षारोपण एवं 10 वर्षों तक रख रखाव हेतु आवश्यक धनराशि (प्रचलित दरों को समाहित करते हुए रुपये 3,82,284/- (2.96 है० Rs. 1,29,150 प्रति है०) केम्पा नई दिल्ली में जमा की जाएगी।	शर्त संख्या 2 की पालना में वन विभाग के पक्ष में प्रभावित वन क्षेत्र के समतुल्य गैर वन भूमि अर्थात् 2.05 है० पर क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण एवं 10 वर्षों तक रख-रखाव हेतु आवश्यक धन राशि 2.96 है० 164100/- रु. प्रति हेक्टर की दर से राशि 485736/- रु. केम्पा नई दिल्ली में दिनांक 23.04.2019 को चालान द्वारा कार्पोरेशन बैंक में ऑनलाईन जमा करा दी गई है। प्रति संलग्न है। दिनांक 22.01.2024 द्वारा अवशेष राशि रु. 100344/- केम्पा मद नई दिल्ली में दिनांक 04.03.2024 को चालान द्वारा यूनियन बैंक में ऑनलाईन जमा करा दी गई है। प्रति संलग्न है। प्रकरण यूजर एजेन्सी द्वारा 2.96 है० गैर वनभूमि विभाग के नाम आवंटित करा दी गई। जमाबन्दी की नकल एवं नामान्तरण की प्रति संलग्न है।
शर्त	क्षतिपूर्क वृक्षारोपण हेतु जो समेकित क्षेत्र (103.4	क्षतिपूर्क वृक्षारोपण हेतु समेकित क्षेत्र (103.4

RajKaj Ref
8910419

Scanned with CamScanner

शर्त संख्या 3	है0) लिया गया है, उसका डिजिटल मानचित्र नोडल अधिकारी द्वारा अपलोड किया जाएगा।	है0) का डिजिटल मानचित्र संलग्न है।
शर्त संख्या 4	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय के रिट पिटीशन (सिविल) 202/1995 के अन्तर्गत आई0ए0 संख्या 566 एवं भारत सरकार के पत्र संख्या 5-3/2007-एफ0सी0 दिनांक 05.02.2009 के तहत में दिये गये आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन.पी.वी.) की निर्धारित राशि रुपये- 18.52 लाख (2.96 है0 Rs. 6.26 लाख प्रति है0) में जमा की जाएगी।	शर्त संख्या 4 के तहत माननीय उच्चतम न्यायालय के रिट पिटीशन (सिविल) 202/1995 के अन्तर्गत आई0ए0 संख्या 566 एवं भारत सरकार के पत्र संख्या 5-3/2007-एफ0सी0 दिनांक 05.02.2009 के तहत में दिये गये आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन.पी.वी.) की निर्धारित राशि रुपये- (2.96 है0 Rs. 6.26 लाख प्रति है0) की दर से राशि रु. 1852960/- केम्पा नई दिल्ली में दिनांक 23.04.2019 को चालान द्वारा कार्पोरेशन बैंक में ऑनलाईन जमा करा दी गई है। प्रति संलग्न है। अवशेष राशि रु. 982069/- एवं दण्डात्मक राशि रु. 1405868/- कुल राशि रु. 2387937/- केम्पा मद नई दिल्ली में दिनांक 04.03.2024 को चालान द्वारा यूनियन बैंक में ऑनलाईन जमा करा दी गई है। प्रति संलग्न है।
शर्त संख्या 5	विधिवत् स्वीकृति के बाद प्रस्तावित वन क्षेत्र का सीमा स्तम्भों द्वारा सीमांकन प्रयोक्ता अभिकरण के व्यय पर किया जाएगा। यह सीमांकन 4' फीट ऊँचे आर0सी0सी0 पीलरों से किया जाएगा। जिसमें प्रत्येक पीलर पर क्रमांक, डी0जी0पी0एस0 निर्देशांक, Backword and Forward bearing एवं अपने निकटवर्ती पीलरों से दूरी दर्शायी जाएगी।	शर्त संख्या 5 के तहत वन क्षेत्र में 4 फीट ऊँचे आर.सी.सी. पीलरों द्वारा सीमांकन कर आवश्यक सूचना अंकित करने हेतु अण्डर टेकिंग संलग्न है।
शर्त संख्या 6	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा मक डिसपोजल योजना प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा स्वीकृत कराकर इस कार्यालय को प्रेषित की जायेगी।	शर्त संख्या 6 के तहत वन क्षेत्र में सड़क का निर्माण भराव (Embankment) में किया जायेगा। सड़क में कोई कटिंग प्रस्तावित नहीं है, सड़क निर्माण सामग्री बाहर से परिवहन कर लायी जानी है। इस प्रकार सड़क निर्माण के दौरान किसी तरह का मक उत्पादित नहीं होगा। अतः शर्त सं. 6 की अनुपालना में मक डिसपोजल योजना की आवश्यकता नहीं होगी। अण्डर टेकिंग संलग्न है।
शर्त संख्या 7	प्रयोक्ता अभिकरण इस आशय का वचनबद्धता पत्र प्रस्तुत करेंगे कि आई0आर0सी0 के मानकों के अनुरूप तथा माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण (NGT) सेंट्रल जोन बेंच, भोपाल द्वारा प्रार्थना पत्र संख्या-27/2015 याबूलाल, जाजू, बनाम राजस्थान सरकार में दिनांक 16.11.2015 में दिये गये आदेश की अनुपालना में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा स्वयं के व्यय पर वन विभाग की निगरानी में सड़क के दोनों तरफ तथा Median पर (यदि उपलब्ध है तो) वृक्षारोपण किया जाएगा।	शर्त सं. 7 की अनुपालना में सड़क के दोनों तरफ तथा Median पर (यदि उपलब्ध है तो) वन विभाग की निगरानी में वृक्षारोपण किया जायेगा, परन्तु वृक्षारोपण का प्रावधान विभाग के स्वीकृत तकमीने में नहीं लिया गया है।

RajKaj Ref
8910419

प्रयोजन अभिकरण एवं राज्य सरकार वर्तमान तथा भविष्य में योजना पर लागू सभी नियम, कानून तथा विधि निर्देशों का मालम करेगी।	शर्त सख्खा 8 के तहत प्रयोजन अभिकरण एवं राज्य सरकार वर्तमान तथा भविष्य में योजना पर लागू सभी नियम, कानून तथा विधि-निर्देशों की पालना हेतु अण्डर ऐंकिंग प्रस्तुत की गई। प्रति सलग्न है।
भारत सरकार द्वारा जारी सैद्धांतिक स्वीकृति की प्रति 2 दैनिक समाचार पत्रों (हिन्दी व अंग्रेजी) में प्रकाशित करा समाचार पत्रों की प्रति इस कार्यालय को भिजवाये।	सलग्न कर दी गई है।

(अनिल यादव)

उप वन संरक्षक

वारां

दिनांक

क्रमांक 0 एफ () / एफ.सी.ए. / उ.व.स. / 2022-23 /

प्रतिलिपि:- निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. अति. प्रधान मुख्य वन संरक्षक, थ. मॉडल अधिकारी राज 0 जयपुर।
2. अधिशाही अभियन्ता सार्वजनिक निर्माण विभाग खण्ड शाहवादा।

(अनिल यादव)

उप वन संरक्षक

वारां

RajKaj Ref
8910419

कार्यालय संभागीय मुख्य वन संरक्षक कोटा

पता-किशोरपुरा कोटा-09 (राज0) ईमेल:-ccffdp.kota@gmail.com दूरभाष:- 0744-2500194

कमांक:एफ13(वन संरक्षण)/समुवसं/2019/383/

दिनांक : 14-6-2019

निमित्त,

प्रधान मुख्य वन संरक्षक
प्रोटेक्शन एवं नोडल अधिकारी एफसीए
राजस्थान जयपुर।

विषय :-जनपद बारां में आर.आर.एस.एम.पी. योजना के तहत जलवाड़ा से किशनपुरा तक
सड़क निर्माण हेतु 2.96 है0 वनभूमि का प्रत्यावर्तन बिना वृक्षों के पातन की
अनुमति हेतु । (Proposal No. FP/RJ/ROAD/6954/2014)

प्रसंग:- उप वन संरक्षक बारां का पत्र संख्या एफ ()एफसीए/उवसं/5301 दिनांक
29.05.2019

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि से आलौच्य प्रकरण जलवाड़ा से किशनपुरा तक
सड़क निर्माण हेतु 2.96 है0 वनभूमि प्रत्यावर्तन बिना वृक्षों के पातन हेतु भारत सरकार पर्यावरण
वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय अलीगंज लखनऊ के पत्रांक 8
बी/राज0/06/04/2015/एफ.सी./254 दिनांक 23.08.2016 से जारी सैद्धान्तिक स्वीकृति में
उल्लेखित शर्तों की बिन्दुवार पालना रिपोर्ट तैयार कर उप वन संरक्षक बारां ने प्रासंगिक पत्र
दिनांक 29.05.2019 से कार्यालय में प्रस्तुत की है जो अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

संलग्न:- उपरोक्तानुसार 3-सेट।

भवदीय

(दया सिंह दुल्लर)
संभागीय मुख्य वन संरक्षक,
कोटा

कमांक:एफ13(वन संरक्षण)/समुवसं/2019/

दिनांक :

प्रतिलिपि उप वन संरक्षक बारां को उनके उक्त प्रासंगिक पत्र के क्रम में सूचनार्थ।

/
संभागीय मुख्य वन संरक्षक,
कोटा

कार्यालय उप वन संरक्षक, बारां

E-mail-def.brn.forest@rajasthan.gov.in, Tel.No. 07453-230410, Fax No. 07453-230244

कमांक एफ() एफ.सी.ए./उवस/2019-20/ 5301

दिनांक :- 25/5/19

निमित्त:-

समागीय मुख्य वन संरक्षक,
कोटा।

3437-

3-6-19

विषय :- जनपद बारां में आर.आर.एस.एम.पी. योजना के तहत जलवाडा से किशनपुरा तक सड़क निर्माण हेतु 2.96 है. वन भूमि का प्रत्यावर्तन हेतु सैद्धान्तिक स्वीकृति पालना रिपोर्ट (प्रकरण संख्या FP/RJ/ROAD/6954/2014)

संदर्भ :- भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय (मध्य), लखनऊ के पत्र कमांक 08-बी/राज/ 06/04/2015/एफ.सी./254 दिनांक 23.08.2016

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि प्रकरण में भारत सरकार द्वारा संदर्भित पत्र से सैद्धान्तिक स्वीकृति जारी की गई है। स्वीकृति में अंकित शर्तों की बिन्दुवार पालना यूजर एजेन्सी द्वारा निम्नानुसार प्रेषित कि गई है।

क्र.सं.	सैद्धान्तिक स्वीकृति में अंकित शर्त	पालना
शर्त संख्या 1	वन भूमि की वैधानिक स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होगा।	यूजर एजेन्सी द्वारा इस आशय की अंडर टेकिंग प्रस्तुत की है जो संलग्न है। प्रकरण में 2.96 हेक्टर गैर वन भूमि विभाग के नाम आवंटित करा दी गई है। जमाबन्दी की नकल एवं नामान्तरण की प्रति संलग्न है।
शर्त संख्या 2	प्रयोक्ता अभिकरण वन विभाग के पक्ष में प्रभावित वन क्षेत्र के समतुल्य गैर वन भूमि अर्थात् 2.96 हेक्टर पर क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण एवं 10 वर्षों तक रख-रखाव हेतु आवश्यक धन राशि 2.96 हेक्टर हेतु 164100/- रु. प्रति हेक्टर की वर्तमान दर से 485736/- रु. केम्पा नई दिल्ली में आनलाइन जमा की जावेगी।	यूजर एजेन्सी द्वारा प्रभावित वन क्षेत्र के समतुल्य गैर वन भूमि अर्थात् 2.96 हेक्टर पर क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण एवं 10 वर्षों तक रख-रखाव हेतु आवश्यक धन र राशि 2.96 हेक्टर हेतु 164100/- रु. प्रति हेक्टर की वर्तमान दर से 485736/- रु. केम्पा नई दिल्ली में दिनांक 23.04.2019 को चालान द्वारा कारपोरेशन बैंक में आनलाइन जमा करा दी गई है। प्रति संलग्न है।
शर्त संख्या 4.	माननीय उच्चतम न्यायालय के रिट पिटीशन (सिविल) 202/ 1995 के अन्तर्गत आई.ए.संख्या 566 एवं भारत सरकार के पत्र संख्या 5-3/2007 एफ.सी. दिनांक 05.02.2009 के तहत में दिये गये आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन.पी.वी.) की निर्धारित राशि रुपये 18.52 लाख (2.96ha x Rs 6.26 Lakh Per ha) केम्पा मद नई दिल्ली में में जमा करावे।	यूजर एजेन्सी द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय के रिट पिटीशन (सिविल) 202/1995 के अन्तर्गत आई.ए. संख्या 566 एवं भारत सरकार के पत्र संख्या 5-3/2007 एफ.सी. दिनांक 05.02.2009 के तहत में दिये गये आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन.पी.वी.) की निर्धारित राशि रु. 1852960 (2.96ha x Rs 6.26 Lakh Per ha.) केम्पा मद नई दिल्ली में दिनांक 23.04.2019 को चालान द्वारा कारपोरेशन बैंक में आनलाइन जमा करा दी गई है। प्रति संलग्न है।
शर्त संख्या 5	विधिवत स्वीकृति के बाद प्रस्तावित वन क्षेत्र का सीमा स्तम्भों द्वारा सीमांकन प्रयोक्ता अभिकरण के व्यय पर किया जावेगा। यह सीमांकन 4 फिट ऊर्चे आर.सी.सी. पिल्लरों में किया जावेगा।	यूजर एजेन्सी द्वारा वन क्षेत्र में 4 फिट ऊर्चे आर.सी.सी. पिल्लरों द्वारा सीमांकन कर आवश्यक सूचना अंकित करने हेतु प्रस्तुत अंडर टेकिंग संलग्न प्रेषित है।
शर्त संख्या 6	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा मक डिस्पोजल योजना बनाकर प्रमागीय वनाधिकारी से स्वीकृत कराकर इस कार्यालय को प्रेषित की जावेगी।	यूजर एजेन्सी द्वारा वन क्षेत्र में मक डिस्पोजल योजना बनाकर उप वन संरक्षक कार्यालय से स्वीकृत कराकर उप वन संरक्षक केन्द्रीय को प्रेषित करने संबंधी अंडर टेकिंग संलग्न प्रेषित है।
शर्त संख्या 7	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा स्वयं के व्यय पर वन विभाग की निगरानी में सड़क के दोनों तरफ तथा बीच में यदि उपलब्ध है तो वृक्षारोपण करने हेतु अण्डर टेकिंग प्रस्तुत करे।	यूजर एजेन्सी द्वारा प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा स्वयं के व्यय पर वन विभाग की निगरानी में सड़क के दोनों तरफ तथा बीच में यदि जगह उपलब्ध है तो वृक्षारोपण करने संबंधी अण्डर टेकिंग प्रस्तुत की है जो प्रति संलग्न प्रेषित है।

शर्त संख्या 8	प्रयोक्ता अभिकरण एवं राज्य सरकार वर्तमान तथा भविष्य में योजना पर लागू सभी नियम, कानून तथा दिशा-निर्देशों की पालना हेतु अण्डर टेकिंग प्रस्तुत करे	यूजर एजेंसी द्वारा वर्तमान तथा भविष्य में योजना पर लागू सभी नियम, कानून तथा दिशा-निर्देशों की पालना करने संबंधी अण्डर टेकिंग प्रस्तुत की है प्रति संलग्न प्रेषित है।
---------------------	--	--

संलग्न :- उक्तानुसार।

भवदीय

(महेश चन्द गुप्ता)
उप वन संरक्षक
बारां

दिनांक :-

क्रमांक एफ() एफ.सी.ए./उपस/17-18/

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी (एफ.सी.ए.) राजस्थान जयपुर।
2. अधीक्षण अभियन्ता सार्वजनिक निर्माण विभाग वृत्त, बारां।
3. अधिशापी अभियन्ता सार्वजनिक निर्माण विभाग खण्ड शाहाबाद।

(महेश चन्द गुप्ता)
उप वन संरक्षक
बारां

कार्यालय अधिशाषी अभियन्ता सा.नि.वि. खण्ड शाहाबाद जिला बारां

ईमेल :- pwd_shahabad@rediffmail.com

क्रमांक : 54

दिनांक : 18/11/2024

श्रीमान् उप वन संरक्षक,
बारां।

विषय :- जनदप बारन में आर0आर0एस0एम0पी0 योजना के तहत (प्रकरण संख्या FP/RAJ/ROAD/6954/2014) जलवाड़ा से किशनपुरा तक सड़क निर्माण हेतु 2.96 है0 वन भूमि के प्रत्यावर्तन बिना वृक्षों के पातन की अनुमति हेतु।

प्रसंग :- आपका पत्र क्रमांक एफ() एफ.सी.ए./उवस/2020-21/9322 दिनांक 12.10.2020 के क्रम में।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत प्रासंगिक पत्र के सन्दर्भ में निवेदन है कि प्रकरण में भारत सरकार द्वारा संदर्भित पत्र से सैद्धान्तिक स्वीकृति जारी की गई है। यूजर एजेन्सी द्वारा स्वीकृति में अंकित शर्तों को बिन्दुवार पालना रिपोर्ट पूर्व में भी एवं इस कार्यालय का पत्र क्रमांक 1017 दिनांक 28.10.2020 द्वारा भिवायी गई थी जो निम्नानुसार है :-

क्र.सं.		
शर्त संख्या 1.	वन भूमि की वैधानिक स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होगा।	शर्त संख्या 1 के तहत वन भूमि की वैधानिक स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं किया जायेगा। इस सन्दर्भ में अन्डर टैकिंग प्रस्तुत है। प्रकरण यूजर एजेन्सी द्वारा 2.96 है0 गैर वनभूमि विभाग के नाम आवंटित करा दी गई। जमाबन्दी की नकल एवं नामान्तरण की प्रति संलग्न है।
शर्त संख्या 2	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वन विभाग के पक्ष में प्रभावित वन क्षेत्र के समतुल्य गैर वनभूमि अर्थात् 2.96 है0 पर क्षतिपूरक वृक्षारोपण एवं 10 वर्षों तक रखरखाव हेतु आवश्यक धनराशि (प्रचलित दरों को समाहित करते हुए यथासंशोधित) रुपये 3,82,284/- (2.96 है0 X Rs. 1,29,150 प्रति है0) कैम्पा नई दिल्ली में जमा की जाएगी।	शर्त संख्या 2 की पालना में वन विभाग के पक्ष में प्रभावित वन क्षेत्र के समतुल्य गैर वन भूमि अर्थात् 2.05 है0 पर क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण एवं 10 वर्षों तक रख-रखाव हेतु आवश्यक धन राशि 2.96 है0 X 164100/- रु. प्रति हैक्टर की दर से राशि 485736/- रु. कैम्पा नई दिल्ली में दिनांक 23.04.2019 को चालान द्वारा कार्पोरेशन बैंक में ऑन लाईन जमा करा दी गई है। प्रति संलग्न है। श्रीमान् उप वन संरक्षक बारां के पत्र क्रमांक एफ.() / एफ.सी.ए./उ.व.स. /2022-23/520 दिनांक 22.01.2024 द्वारा अवशेष राशि रु. 100344/- की मांग की गई थी। उक्त राशि रु. 100344/- कैम्पा मद नई दिल्ली में दिनांक 04.03.2024 को चालान द्वारा यूनियन बैंक में ऑन लाईन जमा करा दी गई है। प्रति संलग्न है। प्रकरण यूजर एजेन्सी द्वारा 2.96 है0 गैर वनभूमि विभाग के नाम आवंटित करा दी गई। जमाबन्दी की नकल एवं नामान्तरण की प्रति संलग्न है।
शर्त संख्या 3	क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु जो समेकित क्षेत्र (103.4 है0) लिया गया है, उसका डिजिटल मानचित्र नोडल अधिकारी द्वारा अपलोड किया जाएगा।	क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु समेकित क्षेत्र (103.4 है0) का डिजिटल मानचित्र संलग्न है।

RajKaj Ref
8910419

शर्त संख्या 4	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय के रिट पिटीशन (सिविल) 202/1995 के अन्तर्गत आई0ए0 संख्या 566 एवं भारत सरकार के पत्र संख्या 5-3/2007-एफ0सी0 दिनांक 05.02.2009 के तहत में दिये गये आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन.पी.वी.) की निर्धारित राशि रुपये- 18.52 लाख (2.96 है0 X Rs. 6.26 लाख प्रति है0) में जमा की जाएगी।	शर्त संख्या 4 के तहत माननीय उच्चतम न्यायालय के रिट पिटीशन (सिविल) 202/1995 के अन्तर्गत आई0ए0 संख्या 566 एवं भारत सरकार के पत्र संख्या 5-3/2007-एफ0सी0 दिनांक 05.02.2009 के तहत में दिये गये आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन.पी.वी.) की निर्धारित राशि रुपये- (2.96 है0 X Rs. 6.26 लाख प्रति है0) की दर से राशि रु. 1852960/- केम्पा नई दिल्ली में दिनांक 23.04.2019 को चालान द्वारा कार्पोरेशन बैंक में ऑन लाईन जमा करा दी गई है। प्रति संलग्न है। श्रीमान् उप वन संरक्षक वारां के पत्र क्रमांक एफ.() / एफ.सी.ए. / उ.व.स. / 2022-23 / 536 दिनांक 22.01.2024 द्वारा अवशेष राशि रु. 982069/- एवं दण्डात्मक राशि रु. 1405868/- की मांग की गई थी। उक्त राशि रु. 982069/- एवं राशि रु. 1405868 कुल राशि रु. 2387937/- केम्पा मद नई दिल्ली में दिनांक 04.03.2024 को चालान द्वारा यूनियन बैंक में ऑन लाईन जमा करा दी गई है। प्रति संलग्न है।
शर्त संख्या 5	विधिवत् स्वीकृति के बाद प्रस्तावित वन क्षेत्र का सीमा स्तम्भों द्वारा सीमांकन प्रयोक्ता अभिकरण के व्यय पर किया जाएगा। यह सीमांकन 4' फीट ऊंचे आर0सी0सी0 पीलरों से किया जाएगा। जिसमें प्रत्येक पीलर पर क्रमांक, डी0जी0पी0एस0 निर्देशांक, Backward and Forward bearing एवं अपने निकटवर्ती पीलरों से दूरी दर्शायी जाएगी।	शर्त संख्या 5 के तहत वन क्षेत्र में 4 फिट ऊंचे आर.सी.सी. लिलरों द्वारा सीमांकन कर आवश्यक सूचना अंकित करने हेतु अण्डर टेकिंग संलग्न है।
शर्त संख्या 6	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा मक डिसपोजल योजना प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा स्वीकृत कराकर इस कार्यालय को प्रेषित की जायेगी।	शर्त संख्या 6 के तहत वन क्षेत्र में सड़क का निर्माण भराव (Embankment) में किया जायेगा। सड़क में कोई कटिंग प्रस्तावित नहीं है, सड़क निर्माण सामग्री बाहर से परिवहन कर लायी जानी है। इस प्रकार सड़क निर्माण के दौरान किसी तरह का मक उत्पादित नहीं होगा। अतः शर्त सं. 6 की अनुपालना में मक डिसपोजल योजना की आवश्यकता नहीं होगी। अण्डर टेकिंग संलग्न है।
शर्त संख्या 7	प्रयोक्ता अभिकरण इस आशय का वचनबद्धता पत्र प्रस्तुत करेंगे कि आई0आर0सी0 के मानकों के अनुरूप तथा माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण (NGT) सेंट्रल जोन बेंच, भोपाल द्वारा प्रार्थना पत्र संख्या-27/2015 बाबूलाल, जाजू, बनाम राजस्थान सरकार में दिनांक 16.11.2015 में दिये गये आदेश की अनुपालना में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा स्वयं के व्यय पर वन विभाग की निगरानी में सड़क के दोनों तरफ तथा Median पर (यदि उपलब्ध है तो) वृक्षारोपण किया जाएगा।	शर्त सं. 7 की अनुपालना में सड़क के दोनों तरफ तथा डमकपंद पर (यदि उपलब्ध है तो) वन विभाग की निगरानी में वृक्षारोपण किया जायेगा, परन्तु वृक्षारोपण का प्रावधान विभाग के स्वीकृत तकमीने में नहीं लिया गया है।
शर्त संख्या 8	प्रयोक्ता अभिकरण एवं राज्य सरकार वर्तमान तथा भविष्य में योजना पर लागू सभी नियम, कानून तथा	शर्त संख्या 8 के तहत प्रयोक्ता अभिकरण एवं राज्य सरकार वर्तमान तथा भविष्य में योजना पर

RajKaj Ref
8910419

8	दिशा निर्देशों का पालन करेगी।	लागू सभी नियम, कानून तथा दिशा-निर्देशों की पालना हेतु अण्डर टेकिंग प्रस्तुत की गई। प्रति संलग्न है।
	भारत सरकार द्वारा जारी सैद्धान्तिक स्वीकृति की प्रति 2 दैनिक समाचार पत्रों (हिन्दी व अंग्रेजी) में प्रकाशित करा समाचार पत्रों की प्रति इस कार्यालय को भिजवाये।	संलग्न कर दी गई है।


 (हरि प्रसाद मीना)
 अधिशाषी अभियन्ता
 सा.नि.वि. खण्ड शाहाबाद

RajKaj Ref
 8910419

कार्यालय अधिशाषी अभियन्ता सा.नि.वि. खण्ड शाहबाद जिला बारां

क्रमांक :

दिनांक : 25.04.2019

अमिलिखित सहमति (अन्डरटेकिंग)

कार्य का नाम :- BT Road From Jalwara to Kishanpura under RRSMP
Proposal No. FP/RJ/Road/6954/2014 (2.96 Ha.)

प्रमाणित किया जाता है कि सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त सं. 1 की
अनुपालना में वन भूमि की वैधानिक स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं किया जायेगा।

C.S.


(महेश चन्द गुप्ता)
उप वन संरक्षक
बारां


(आर.के. सोनी)
अधिशाषी अभियन्ता
सा.नि.वि. खण्ड शाहबाद

कार्यालय जिला कलक्टर, बारां (राजस्थान)

क्रमांक:- एफ-4(5)(30) राजस्व/2014/ 220-26

दिनांक:- 7 फरवरी, 2017

- आदेश :-

अधीक्षण अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग वृत्त, बारां द्वारा प्रस्तुत की गई सूची के अनुसार विभिन्न योजनाओं के तहत सड़क निर्माण में आने वाली वन भूमि के एवज में 102.34 हे० गैर वन भूमि आरक्षित किये जाने हेतु मांग किये जाने पर उक्त प्रयोजनार्थ तहसीलदार, अन्ता द्वारा प्रस्तावित एवं उप वन संरक्षक, बारां के पत्र क्रमांक 14073 दिनांक 12.09.2014 से प्राप्त सहमति के आधार पर राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 92 के तहत इस कार्यालय के आदेश क्रमांक एफ-4(5)(30)राजस्व/2014/5814-20 दिनांक 18.09.2014 से निम्नलिखित भूमियां वन विभाग के नाम आरक्षित (सेट-अपाटी) की गई है।

उप वन संरक्षक, बारां द्वारा पत्र क्रमांक एफ()एफ.सी.ए./उपस/14-15 /16782 दिनांक 10.10.2014 से उक्त आरक्षित भूमि को वन विभाग के नाम आवंटन करने की मांग करने पर इस कार्यालय के पत्र क्रमांक/एफ-4(5)(30)राजस्व/2014/ 6528-29 दिनांक 21.10.2014 से प्रकरण राजकीय स्वीकृति हेतु भिजवाये जाने पर श्रीमान् संयुक्त शासन सचिव, राजस्व (ग्रुप-3) विभाग, जयपुर के पत्रांक : 2(266)राज.-3/14 दिनांक 12.02.15 से प्राप्त राजकीय स्वीकृति के आधार पर निम्नलिखित आरक्षित भूमियों को वन विभाग के नाम आवंटन किया जाता है।

क्र.सं.	तहसील	ग्राम	खसरा न०	रकबा (हे०)	भूमि की किस्म
1	अन्ता	बिलेण्डी	39	13.20	बंजड़
			41	5.00	बंजड़
			42	6.52	बंजड़
			114	5.80	गैर मुमकिन बरडा
			115	9.58	गैर मुमकिन बरडा
			116	7.70	बंजड़
			135	10.81	बंजड़
			149	3.63	बंजड़
			8 किता	62.24	
2		सोरसन	1175	19.76	गैर मुमकिन बरडा
			1173	19.15	गैर मुमकिन बरडा
			2 किता	38.91	
3		ताखा	368	2.25	गैर मुमकिन बरडा
		कुल योग	11 किता	103.40 हे०	

नियमानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावे।

(डॉ. एस. पी. सिंह)
जिला कलक्टर
बारां

क्रमांक:- एफ-4(5)(30) राजस्व/2014/ 220-26

दिनांक:- 7 फरवरी, 2017

प्रतिलिपि:- निम्न की सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।।

1. संयुक्त शासन सचिव, राजस्व (ग्रुप-3) विभाग, जयपुर।
2. उप वन संरक्षक, बारां।
3. अधीक्षण अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग वृत्त, बारां।
4. उपखण्ड अधिकारी, अन्ता।
5. तहसीलदार, अन्ता को मेजकर लेख है कि आवंटित भूमि का राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर पालना भिजवावे।
6. जिला सूचना एवं जन सम्पर्क अधिकारी, बारां।
7. रक्षित पत्रावली।

(आर. के. सोनी)
अधीक्षणी अभियन्ता
सा.नि.वि. खण्ड शाहाबाद

(महेश चन्द गुप्ता)
उप वन संरक्षक
बारां

जिला कलक्टर
बारां

Land to be allotted to Forest Department

21/9/14 cm 1529

PWD circle Baran

As on 11.09.2014

S. No.	Name Of Division	Name Of Tehsil	Name of Scheme	Name of Road	Area to be allotted to Forest Department (in hectare)	Remark
1	2	3	4	6	18	
Old Cases						
1	Chhabra	Chipabarod	PMGSY	पाटरी से भटगांव	1.50	
2	Shahbad	Shahbad	PMGSY	गागोनी से मोहनपुर	2.60	
				योग	4.10	
New Cases						
1	Chhabra	Chhabra	5054 / RURAL ROAD	हिंगलोट से मदनाखेड़ी बाया हरिपुरा	3.00	
2	Chhabra	Chhabra	5054/ SHW	कोटा धरनाबाद सड़क	13.58	
3	Shahbad	Kishanganj	RIDF-XVIII (VC)	खल्दा से खल्दी	0.61	
4	Shahbad	Kishanganj	RIDF-XVIII (VC)	कदीली से लाटखेड़ा	3.20	
5	Shahbad	Kishanganj	RIDF-XVIII (VC)	माधोपुरा से जैतपुरा	4.00	
6	Shahbad	Kishanganj	RIDF-XVIII (VC)	ढिकोनिया से तलावड़ा	7.50	
7	Shahbad	Kishanganj	RIDF-XVIII (VC)	नेहरूपुरा से झिरी	4.00	
8	Shahbad	Shahbad	RIDF-XVIII (VC)	बिची से रामपुर उपरेटी	2.50	
9	Shahbad	Shahbad	RIDF-XVIII (VC)	एन.एच.-76 किमी. 573/0 से धुआ	2.60	
10	Shahbad	Shahbad	RIDF-XVIII (VC)	राजपुर से बरारा	0.55	
11	Shahbad	Kishanganj	RIDF-XVII (Missing Link)	गरडा से जैसवा	4.00	
12	Shahbad	Kishanganj	RIDF-XVII (RSAMB)	करवाथाना से बमनगवा	5.20	
13	Shahbad	Shahbad	RRSMP	उनी कंदारकुई से सिलोरा	3.00	
14	Shahbad	Kishanganj	RRSMP	ख्यावदा से हरिपुरा	1.00	
15	Shahbad	Kishanganj	RRSMP	जलवाड़ा से किशनपुरा	3.00	
16	Shahbad	Kishanganj	RIDF-XVIII (VC)	गोरधनपुरा से घट्टा	0.50	
17	Shahbad	Kishanganj	RRSMP	खण्डेला से हलावनी	2.00	
18	Shahbad	Shahbad	RRSMP	बीलखेड़ा डांग से पाटन	1.00	
19	Shahbad	Shahbad	RRSMP	कंदारकुई से मुहाल	7.00	
20	Shahbad	Kishanganj	RRSMP	भंवरगढ से रनवासी	2.50	
21	Shahbad	Kishanganj	RRSMP	रनवासी से रनवासा	0.80	
22	Shahbad	Kishanganj	RRSMP	गोरधनपुरा से कालीमाटी	3.00	
23	Shahbad	Kishanganj	RRSMP	रामगढ काला पट्टा सड़क किमी. 2/500 से करवाला लक्ष्मीपुरा	2.00	
24	Shahbad	Kishanganj	RRSMP	करवरी खुर्द से बामनदेह	4.20	
25	Shahbad	Kishanganj	RRSMP	लकड़ाई से गागली बाया दुर्जनपुरा	1.00	
26	Shahbad	Kishanganj	RRSMP	गागली लक्ष्मीपुरा पाटपडी सड़क	3.00	
27	Shahbad	Shahbad	RIDF-XVIII (VC)	राजपुर गुण्डियर सड़क (रामपुर उपरेटी) से ईसाटोरी	4.00	
28	NH Division	Atru		कवाई	3.25	

(आर. के. सोनी)
अधिसायी अभियन्ता
सा.नि.वि. खण्ड शाहाबाद

विशेष चन्द गुप्ता
वन संरक्षक

S. No.	Name Of Division	Name Of Tehsil	Name of Scheme	Name of Road	Area to be allotted to Forest Department (In hactare)	Remark
1	2		3	4	6	18
29	NH Division	Atru		खेडली गादिया	1.02	
30	NH Division	Atru		सिंगनी जागीर	1.21	
31	NH Division	Chipabarod		बरडावदा	0.44	
32	NH Division	Chipabarod		कालपा जागीर	1.66	
33	NH Division	Chipabarod		नयापुरा	4.92	
				योग	98.24	
				कुल योग	102.34	

(Ar. K. Soni)
(आर. के. सोनी)
अधिराष्ट्री अभियन्ता
सा.नि.वि. खण्ड शाहाबाद

(M. S. Gupta)
(महेश चन्द गुप्ता)
उप वन संरक्षक
बारा

(मुन्सि माथुर)
अधीक्षण अभियन्ता
सा0नि0वि0 वृत्त बारा



राजस्थान राजपत्र
विशेषांक

RAJASTHAN GAZETTE
Extraordinary

साधिकार प्रकाशित

Published by Authority

आश्विन 09, मंगलवार, शके 1946-अक्टूबर 01, 2024

Asvina 09, Tuesday, Saka 1946- October 01, 2024

भाग-1(ख)

महत्वपूर्ण सरकारी आज्ञायें।

वन विभाग (क)

विज्ञप्ति

जयपुर, अगस्त 23, 2024

संख्या प. 2(46)वन/2023:-चूंकि निम्नलिखित अनुसूची में दिखाई गई वन भूमि सरकार की सम्पत्ति है अथवा उनमें सरकार के स्वत्व है अथवा सरकार उनकी सम्पूर्ण वन उपज अथवा किसी अंश की स्वत्वधारी (Entitled) है।

और चूंकि पूर्वोक्त भूमि में अथवा उस पर सरकारी अथवा वैयक्तिक अधिकारों की सीमा तथा स्वरूप अभी तक किसी भी प्रकार से लेखबन्द नहीं किये हैं।

और चूंकि सरकार यह भी विचार रखती है कि पूर्वोक्त वन भूमि अथवा बंजर भूमि में अथवा उस पर सरकार या वैयक्तिक अधिकारों की सीमा तथा स्वरूप में जांच किया जाना तथा उन्हें लेखबन्द किया जाना आवश्यक है। परन्तु चूंकि इन कार्यों के सम्पादन में जितना समय लगेगा उस बीच में सरकार के अधिकारों को क्षति पहुँचाने की आशंका है।

इसलिए अब राजस्थान फोरेस्ट एक्ट 1953 (1953 का एक्ट संख्या 13) की धारा 29 की उपधारा (3) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुये, सरकार इसके द्वारा फोरेस्ट सेटलमेन्ट ऑफिसर को पूर्वोक्त वनभूमि अथवा बंजर भूमि में या उन पर सरकारी तथा व्यक्तिगत अधिकारों की जांच करके उन्हें लेखबन्द करने हेतु नियुक्त करती है। तथा ऐसी जांच तथा अभिलेखन तथा साध्य उसी प्रणाली में किया जावेगा। जैसा कि उक्त एक्ट की धारा 6, 7, 8, 10, 11, (1) 12, 13, 14, 17, 18 तथा 19 में प्रवाहित है।

और एक्ट की धारा 29 की उपधारा (3) कि परन्तुक (Proviso) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अग्रेत्तर अनुसरण में राजस्थान सरकार उक्त जांच तथा अभिलेख सम्पादित होने तक उक्त वनभूमि और बंजर भूमि को इस विज्ञप्ति द्वारा रक्षित वन (Protected Forest) घोषित करती है। परन्तु इससे किसी व्यक्ति या वर्ग विशेष के वर्तमान अधिकारों में किसी भी प्रकार की कमी नहीं आयेगी। और न उन पर कोई प्रभाव पड़ेगा।

और सरकार उक्त एक्ट की धारा 30 द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अग्रेतर अनुसरण में यह भी घोषणा करती है कि उक्त संरक्षित वन के ये वृक्ष जो संलग्न द्वितीय अनुसूची में अंकित किये गये हैं, राज-पत्र में इस विज्ञप्ति के प्रकाशन की तारीख में आरक्षित (Reserved) है और पूर्वोक्त तारीख से उक्त वन में पत्थरों को हटाया जाना अथवा चूना या कोयला जलाया जाना अथवा किसी प्रकार की वन उपज का

संग्रहित किया जाना अथवा उसे किसी निर्माण अथवा पशुपालन अथवा किसी भी अन्य प्रयोजन के लिए खण्डित किया जाना अथवा साफ किया जाना निषिद्ध करती है।

संलग्न - प्रथम अनुसूची (वन भूमि व बंजर भूमि)

द्वितीय अनुसूची (संरक्षित वृक्ष)

राज्यपाल की आज्ञा से,

बीजो जॉय,

विशिष्ट शासन सचिव, वन।

प्रथम अनुसूची								
क्र. स.	नाम वनखण्ड	नाम तहसील	नाम जिला	सीमा विवरण	नाम ग्राम	खसरा नं.	क्षेत्रफल हैक्टर मे	भूमि किस्म
1	बिलेण्डी नियाना भाग 1	अंता	बारां	उत्तर:- राजस्व भूमि ख न. 119 व 118 दक्षिण:- सरहद ग्राम मानपुरा पश्चिम:- वनखण्ड सोरसन ए पूर्व:- राजस्व भूमि ख न. 132,118,151 व 152	बिलेण्डी	114	5.80	गै. मु. बरडा
						115	9.58	गै. मु. बरडा
						116	7.70	गै. मु. बरडा
						138	10.81	गै. मु. बरडा
						149	3.63	गै. मु. बरडा
					योग	5	37.52	
	बिलेण्डी नियाना भाग-2	अंता	बारां	उत्तर:- सरहद ग्राम मोहम्मदपुरा दक्षिण:- राजस्व भूमि ख न. 38 व 40 पश्चिम:- राजस्व भूमि ख. न. 15 पूर्व:- वनखण्ड सोरसन ए	बिलेण्डी	39	13.20	गै. मु. बरडा
						योग	1	13.20

बिलेण्डी नियाना भाग 3	अंता	बारां	उत्तर:- राजस्व भूमि ख न. 38 व 40 दक्षिण:- राजस्व भूमि ख न. 43 व 44 पश्चिम:- राजस्व भूमि ख. न. 28 व 29 व 54 पूर्व:- वनखण्ड सोरसन ए	बिलेण्डी	41	5.00	गै. मु. बरडा
					42	6.52	गै. मु. बरडा
				योग	2	11.52	
				महायोग	8 किता	62.24	

(अनिल यादव)

उप वन संरक्षक,
बारां

द्वितीय अनुसूची
पेड़ों की सूची

क्र.स.	बोटैनिकल नाम	हिन्दी नाम
1	Anogeissus pendula, Wall	धौकड़ा, धौ, फलधी, धोक
2	Acacia catechu Willd	खैर
3	Balanites roxburghi, Roxb	हीगोट
4	Butea mono sperma, Koenig	फलास, खाखरा, छोला
5	Emblica officinalis	आंवला
6	Cassia, Fistula Linn	अमलतास
7	Diospyros melanoxylon, Rech	तेन्दू, टेमरू
8	Madhuca latifolia, Roxb	महुआ
9	Tectona grandis, Linn	सागवान
10	Terminalia arjuna, Bedd	अर्जुन, कोहड़ा
11	Moringa oleifera	सेजना
12	Holoptelea integrifolia, Planch	चुरेल, कुंज, कांज

(अनिल यादव)

उप वन संरक्षक,
बारां

कार्यालय उप वन संरक्षक, बारां

प्रमाण पत्र

जिला:- बारां

तहसील:- अन्ता

रेंज:- अन्ता

वनखण्ड: बिलेण्डी नियाना भाग 1, 2 व 3

ग्राम:- बिलेण्डी

1. संलग्न प्रारूप में दर्शायी वन भूमि का वर्गीकरण राजस्व रिकार्ड में महकमा जंगलात कर दिया गया है। जिस विज्ञप्ति में विस्तृत रूप से खसरा नम्बर विवरण सहित दर्शाया गया है।
2. वर्तमान राजस्व लेखों में महकमा जंगलात दर्ज है। मौके पर विभाग द्वारा वृक्षारोपण विकास कार्य कराये जाने की सम्भावना है। इस क्षेत्र में वर्तमान में अतिक्रमण अथवा खनन कार्य नहीं हो रहा है। इस क्षेत्र का राजस्व जमाबन्दी में महकमा जंगलात कर दिया है।
3. भूमि पर वृक्षों का घनत्व 0.0 से 0.2 है।
4. सीमावृत्ती क्षेत्र की स्थिति खातेदारी नदी, नाले व वन भूमि है। तथा सीमा का उल्लेख एवं खसरा नं. व रकबा विज्ञप्ति में दर्ज कर दिया गया है।
5. वनखण्ड का मानचित्र नक्शा संलग्न है। जिसमें खसरा नं. व रकबा दर्ज है। एवं जी.टी. शीट की छायाप्रति संलग्न है।
6. प्रस्तावित वनों के प्रारूप यथा विधि पूर्व में नहीं भेजने के कारण रहे हैं। किन्तु अब उल्लेखित वन क्षेत्रों को कानूनी स्वरूप देने हेतु प्रचलित नियमों के अनुरूप शासकीय गजट में प्रकाशन होना नितान्त आवश्यक है। जिससे जिले की भूमि पर विभाग का साक्ष्य सिद्ध हो सके।
7. राजस्व अभिलेखों में अमलदरामद वन विभाग के नाम हो रहा है।
8. उक्त क्षेत्र, अधिसूचित सोरसन कन्जर्वेशन रिजर्व प्रथम का हिस्सा है।
9. उक्त भूमि विभिन्न सड़क परियोजनाओं (संलग्न सूची) में आई वन भूमि के बदले आवंटित गैर वन भूमि है। चूँकि उक्त आदेश में इस वन मंडल अधीन वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत चल रहे 24 प्रकरणों में इकजाई 103.40 हे० भूमि का आवंटन हुआ है। संलग्न आदेश है।

(अनिल यादव)

उप वन संरक्षक,

बारां

राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर।

जमाबन्दी (खेवट/खतोनी) (प्रतिलिपि)

अंतिम चामला आधार सम्बन्ध :- 2076 - 2079 जमाबन्दी 2076 (वर्ष 2019) में
स्थायी

भूमि धारक का नाम :- राज. सरकार

क्षेत्रफल की ईकाई :- हेक्टेयर

खाता संख्या नया :- 78

खाता संख्या पुराना :- 78

नाम :- बिलेण्डी
पत्ता :- मानपुरा
जिला :- खजूरनाकला
तहसील :- अन्ता
ब्लॉक :- बाराँ

खेवट का नाम :-	उप वन संरक्षक द्वारा वन विभाग हेतु हिस्सा- पूर्ण संस्था के लिए	कृषक द्वारा संदत्त लगात	सिंचाई के साधन	अन्तरण के क्रम में प्रमाणित नामान्तरकरण संख्या व दिनांक	टिप्पणी
संख्या	क्षेत्रफल	भूमि वर्गीकरण			
4	5.8000	गै.मु.बरडा	5.8000	0.00	
5	9.5800	गै.मु.बरडा	9.5800	0.00	
16	7.7000	गै.मु.बरडा	7.7000	0.00	
38	10.8100	गै.मु.बरडा	10.8100	0.00	
39	3.6300	गै.मु.बरडा	3.6300	0.00	
39	13.2000	गै.मु.बरडा	13.2000	0.00	
41	5.0000	गै.मु.बरडा	5.0000	0.00	
42	6.5200	गै.मु.बरडा	6.5200	0.00	
कुल खमरे - 8	62.2400		62.2400		

यह प्रपत्र केवल प्रार्थी की जानकारी के लिए है।

इसका उपयोग किसी भी न्यायालय में साक्षी के रूप में नहीं किया जा सकता है।

नकल जारी करने की तिथि :- 14-Sep-2020



(Signature)
जिलाधिकारी सनाईवा
अधिराज्य अतिरिक्त
ज.स.वि. अन्तर्गत बाराँ

RajKaj Ref
8910419

कार्यालय क्षेत्रीय वन अधिकारी, अन्ता

प्रमाणित किया जाता है कि विभिन्न राइक पर्याजवासी के अन्तर्गत जिला सरकार द्वारा आदेश क्रमांक 120-26 दिनांक 07.02.2017 से निम्नानुसार गैर वनभूमि (103.40 है०) वन विभाग के नाम आर्वाटेन की गई है।

तहसील अन्ता गाम बिलेण्टी की विमलराणी अनुसार वर्णित गैर वनभूमि को कार्य हेतु उपयुक्त है यह वनभूमि से लगवा है इसमें किसी प्रकार का कोई अधिकरण एवं न्यायिक प्रकरण विचाराधीन नहीं है यह समस्त गैर वनभूमि यूनार कोठी से इस कार्यालय द्वारा मौके पर जाकर सम्भाल ली गई है।

क्र.सं.	तहसील	ग्राम	खसरा नं.	रकबा (हेक्टर)
1	अन्ता	दिलेण्टी	39	13.20
			41	5.00
			43	6.52
			114	5.60
			115	9.58
			116	7.70
			138	10.81
			149	3.63
		योग	योग	62.24

हरताक्षर जमीन का चार्ज लेने वाले अधिकारी व कर्मचारी

1 वनरक्षक राजीव कपूर (नारेन्द्र मार्ग (व.र.))

2 नाका प्रमारी अश्विनी 06/07/17

3 क्षेत्रीय वन अधिकारी

हरताक्षर जमीन का चार्ज देने वाले अधिकारी व कर्मचारी

1 हस्तक पटवारी उपरोक्त भूमि का (लीगल) 02/07/17

2 कानूनगो राजीव कपूर
24/07/2017
06/07/17

राजीव कपूर
उप वन संरक्षक
वाराणसी

राजीव कपूर
6/9/17
(प्रशोक सनाद्वय)
अतिरिक्त अभियन्ता
रा.मि.वि. राण्ड शाहवादा

राजीव कपूर
उप वन संरक्षक
वाराणसी

RajKaj Ref
8910419

Status of the Payment made by User Agencies

Help

Click on Proposal No. to view Detail of proposal. Click on Demand letter to view Uploaded demand letter.

CA : Compensatory Afforestation; Addl CA : Additional Compensatory Afforestation; PCA : Penal Compensatory Afforestation; CAT : Catchment Area Treatment; Addl PA : Additional Charges for protected area; NPV : Net Present Value;

☒ To be Verified

: This icon shows that the details of the Funds submitted by User Agency are yet to be verified by Nodal Officer.

☒ Verified

: This icon shows that the demand has been verified by Nodal Officer.

☒ Challan Generated

: This icon shows that the challan has been generated.

☒ Unpaid

: This icon shows that the payment yet to be made.

☒ Paid

: This icon shows that the payment has been made.

☒ Proposals received on or after 15th July 2014 ☐ All Proposals received upto 14th July 2014

Select Region : Select State :

Select User Agency :

Payment Status : ☒ Paid ☐ Unpaid ☐ All

Bank Name : Mode of Payment :

Transaction Date (From) : Transaction Date (To) :

Enter value for Search :

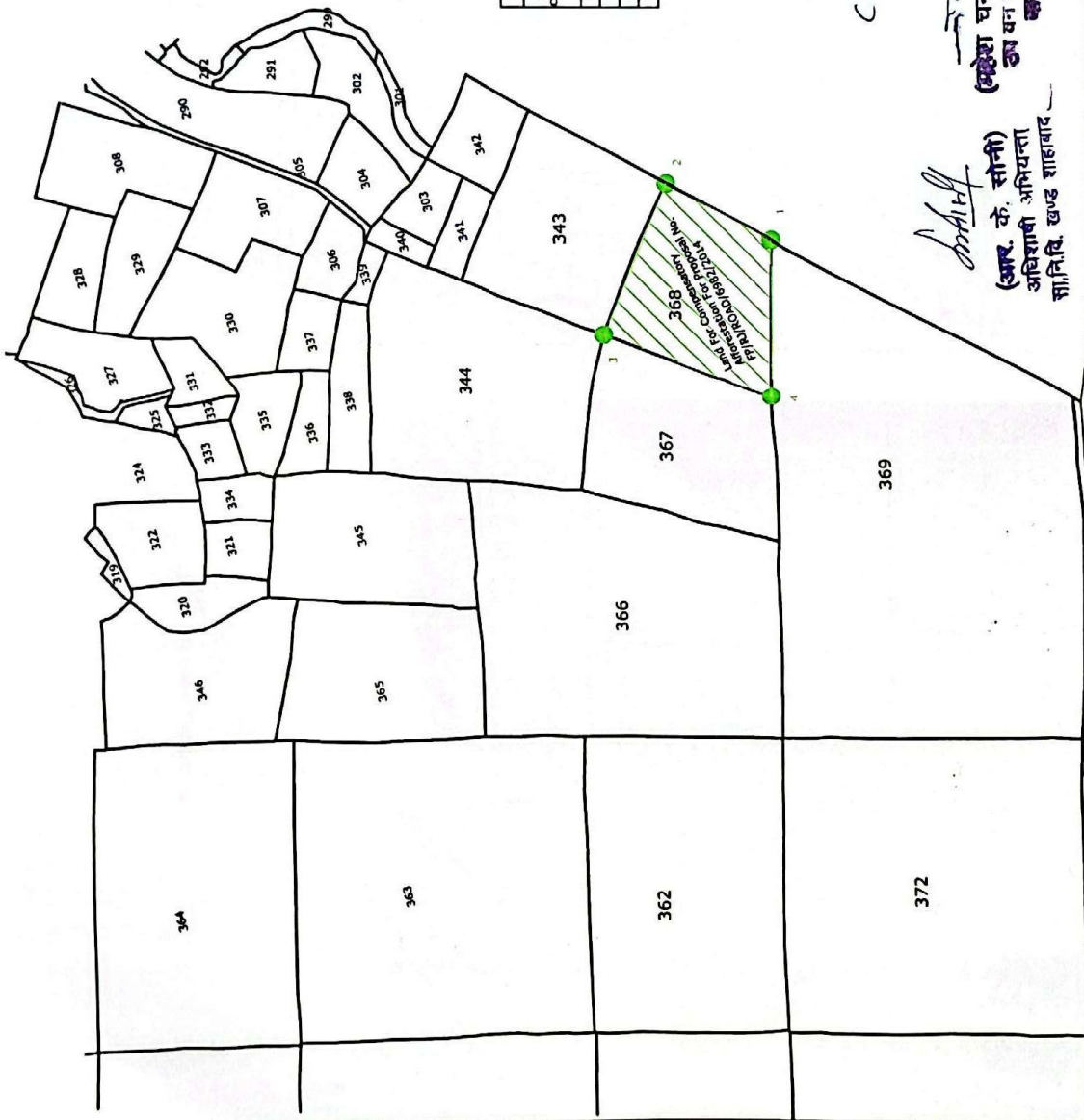
SEARCH

Sno.	Proposal Detail	Application No	Date of IN-PRINCIPLE	Amount to be Paid / Amount Paid (in Rs.)	Payment Status	Payment Detail	Demand Letter
1	FP/RJ/ROAD/6954/2014 (.../viewreport.aspx?pid=FP/RJ/ROAD/6954/2014) Road Work from Jalwara to Kishanpura	ROAD69542014106	23 Aug 2016	CA: 100344/- Addl CA: 0/- PCA: 1405868/- CAT: 0/- Safety Zone: 0/- Addl PA: 0/- NPV: 982069/- NIL: 0/- NIL: 0/- NIL: 0/- Total: 2488281/-	☒ Paid	Fund Demand Verified by 05 Feb 2024 Nodal Officer On Bank Name : Union Bank Of India Mode of Payment : NEFT/RTGS (Challan) Challan Generated 19 Feb 2024 On Transaction Date 05 Mar 2024	Demand Letter (.../writereaddata/Fundpdf/260120241400566789_FPRJROAD69542014_User_Fund_Derr Generated Challan (.../UserAccount/Neft_ChallanCorp.aspx?pid=ROAD69542014106)
2	FP/RJ/ROAD/39767/2019 (.../viewreport.aspx?pid=FP/RJ/ROAD/39767/2019) Construction/Up-gradation of two lane with paved shoulder of NH from Raisinghnagar - Poogal (Design Ch. 101.00 to Design Ch. 263.460) section (Length 162.460 Km) under Phase-I of Bharatmala Paryojana on EPC Mode in the State of Rajasthan (Package -2)	ROAD397672019625	28 Dec 2020	CA: 14554100/- Addl CA: 0/- PCA: 0/- CAT: 0/- Safety Zone: 0/- Addl PA: 0/- NPV: 22400048/- Total: 36954148/-	☒ Paid	Fund Demand Verified by 19 Jan 2021 Nodal Officer On Bank Name : Corporation Bank Mode of Payment : NEFT/RTGS (Challan) Challan Generated 01 Feb 2021 On Transaction Date 20 Jan 2021	Demand Letter (.../writereaddata/Fundpdf/11113121112980QUDemand_Note_Bharatm Generated Challan (.../UserAccount/Neft_Challan.aspx?pid=ROAD397672019625)
3	FP/RJ/RQ/*C/6954/2014 (.../viewreport.aspx?pid=FP/RJ/ROAD/6954/2014) Road Work from Jalwara to Kishanpura	ROAD69542014640	23 Aug 2016	CA: 485736/- Addl CA: 0/- PCA: 0/- CAT: 0/- Safety Zone: 0/- Addl PA: 0/- NPV: 1852960/- Total: 2338696/-	☒ Paid	Fund Demand Verified by 18 Apr 2019 Nodal Officer On Bank Name : Corporation Bank Mode of Payment : NEFT/RTGS (Challan) Challan Generated 22 Apr 2019 On Transaction Date 23 Apr 2019	Demand Letter (.../writereaddata/Fundpdf/4111412241211UK6MWJalwaratokshampur.e Generated Challan (.../UserAccount/Neft_Challan.aspx?pid=ROAD69542014640)

LAYOUT PLAN OF ALTERNATE LAND FOR FOREST

KHASRA NO.: 368

Village: THAKAI, Tehsil : ANTA, Distt. BARAN



Index:

Symbol	Proposed Alternate Land
	Demarcation Pillars
	Chain no
	Chain boundary

LAT-LONG OF BOUNDARY PILLARS ON ALTERNATE LAND			
UTM CO-ORDINATES		WGS-84 CO-ORDINATES	
PILLARS	NORTHING	EASTING	LATITUDE
1	2773222.9528	62780.1166	76°15' 39.52" 25°04' 09.76"
2	2773327.6691	62736.2654	76°15' 41.56" 25°04' 13.14"
3	2773390.7204	62784.2116	76°15' 36.16" 25°04' 15.24"
4	2773219.4994	627818.2845	76°15' 33.75" 25°04' 09.70"

VILLAGE- THAKA	
Khasra No.	Area in Hect.
368	2.25

C.S

(Signature)
 (अर. के. सोनी)
 अधिशासी अभियन्ता
 ज्वा.नि.वि. खण्ड शाहाबाद

(Signature)
 (महेश चन्द गुप्ता)
 उप वन संरक्षक
 बरान

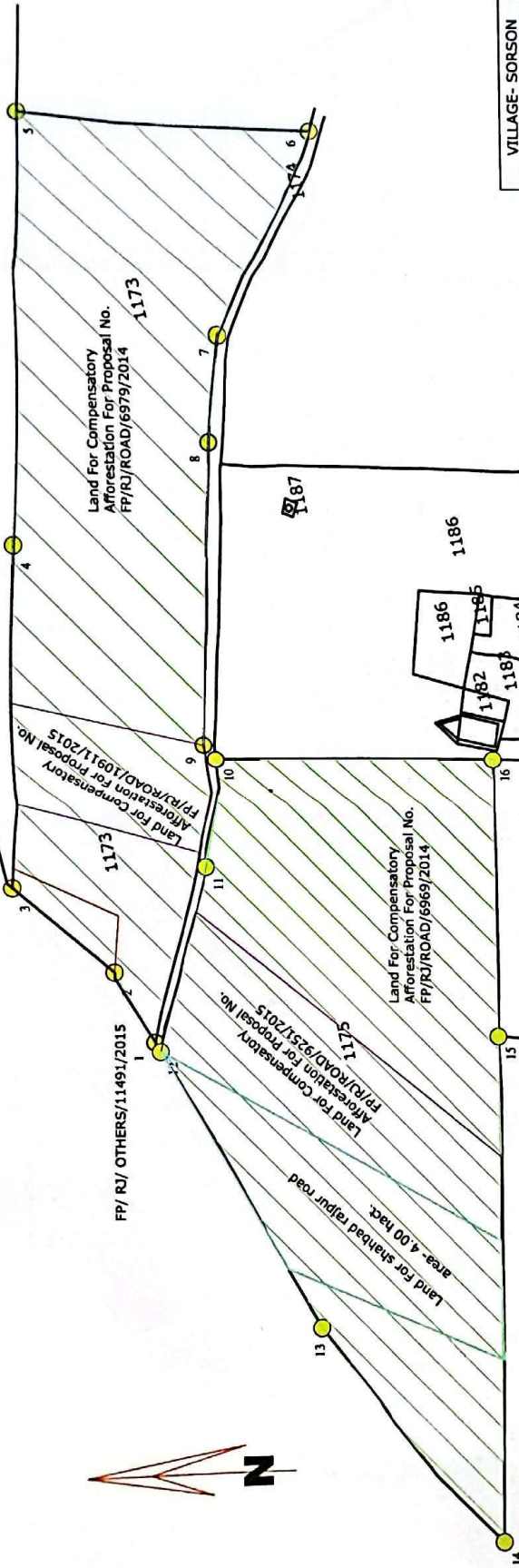
<i>(Signature)</i>	EXECUTIVE ENGINEER PMD DIV. SHAMBAH
<i>(Signature)</i>	ASSISTANT ENGINEER PMD DIV. KILWAHA

LAYOUT PLAN OF ALTERNATE LAND FOR FOREST

KHASRA NO.: 1173,1175

Village: SORSON, Tehsil : ANTA, Distt. BARAN

115/1901



VILLAGE- SORSON	
Khasra No.	Area In Hact.
1173	19.15
1175	19.76

Index:

PROPOSED ALTERNATE LAND	
Demarcation Pillar's	14
Khasra no	000
Khasra Boundary	

LAT-LONG OF BOUNDARY PILLARS ON ALTERNATE LAND			
CENTER LINE PILLARS	LAT-LONG		
	UTM CO-ORDINATES	WGS-84 CO-ORDINATES	
	NORTHING	EASTING	LONGITUDE
1	2767500.30	629637.63	76°17' 05.28" 25°01' 03.00"
2	2767541.69	629709.85	76°17' 07.87" 25°01' 04.32"
3	2767644.99	629797.38	76°17' 11.03" 25°01' 07.63"
4	2767633.04	630155.01	76°17' 23.78" 25°01' 07.15"
5	2767628.84	630609.81	76°17' 40.00" 25°01' 06.87"
6	2767729.41	630589.80	76°17' 39.19" 25°00' 57.15"
7	2767623.11	630665.31	76°17' 31.21" 25°01' 00.26"
8	2767634.64	630259.69	76°17' 27.45" 25°01' 00.67"
9	2767433.87	629952.61	76°17' 16.50" 25°01' 01.06"
10	2767432.24	629937.35	76°17' 15.95" 25°01' 00.69"
11	2767494.70	629617.85	76°17' 11.69" 25°01' 01.20"
12	2767446.64	629628.06	76°17' 04.94" 25°01' 02.87"
13	2767329.24	629344.44	76°16' 54.77" 25°00' 57.53"
14	2767411.18	629123.42	76°16' 46.82" 25°00' 51.48"
15	2767411.78	629642.08	76°17' 05.32" 25°00' 51.34"
16	2767415.84	629937.50	76°17' 15.86" 25°00' 51.38"

(आ. के. सोनी)
अधिसूची अभियन्ता
सा.नि.वि. खण्ड मालखर

115/1901

LAYOUT PLAN OF ALTERNATE LAND FOR FOREST
 KHASRA NO.: 39,41,42,114,115,116,138,149
 Village: BILANDI, Tehsil : ANTA, Distt. BARAN



SOUTH LINE PILLAR	LAT LONG			
	EASTING	NORTHING	UTM COORDINATE	UTM COORDINATE
1	68781.5	277052.5	68781.5	277052.5
2	68781.5	277052.5	68781.5	277052.5
3	68781.5	277052.5	68781.5	277052.5
4	68781.5	277052.5	68781.5	277052.5
5	68781.5	277052.5	68781.5	277052.5
6	68781.5	277052.5	68781.5	277052.5
7	68781.5	277052.5	68781.5	277052.5
8	68781.5	277052.5	68781.5	277052.5
9	68781.5	277052.5	68781.5	277052.5
10	68781.5	277052.5	68781.5	277052.5
11	68781.5	277052.5	68781.5	277052.5
12	68781.5	277052.5	68781.5	277052.5
13	68781.5	277052.5	68781.5	277052.5
14	68781.5	277052.5	68781.5	277052.5
15	68781.5	277052.5	68781.5	277052.5
16	68781.5	277052.5	68781.5	277052.5
17	68781.5	277052.5	68781.5	277052.5
18	68781.5	277052.5	68781.5	277052.5
19	68781.5	277052.5	68781.5	277052.5
20	68781.5	277052.5	68781.5	277052.5
21	68781.5	277052.5	68781.5	277052.5

SOUTH LINE PILLAR	LAT LONG			
	EASTING	NORTHING	UTM COORDINATE	UTM COORDINATE
22	68781.5	277052.5	68781.5	277052.5
23	68781.5	277052.5	68781.5	277052.5
24	68781.5	277052.5	68781.5	277052.5
25	68781.5	277052.5	68781.5	277052.5
26	68781.5	277052.5	68781.5	277052.5
27	68781.5	277052.5	68781.5	277052.5
28	68781.5	277052.5	68781.5	277052.5
29	68781.5	277052.5	68781.5	277052.5
30	68781.5	277052.5	68781.5	277052.5
31	68781.5	277052.5	68781.5	277052.5
32	68781.5	277052.5	68781.5	277052.5
33	68781.5	277052.5	68781.5	277052.5
34	68781.5	277052.5	68781.5	277052.5
35	68781.5	277052.5	68781.5	277052.5
36	68781.5	277052.5	68781.5	277052.5
37	68781.5	277052.5	68781.5	277052.5
38	68781.5	277052.5	68781.5	277052.5
39	68781.5	277052.5	68781.5	277052.5
40	68781.5	277052.5	68781.5	277052.5
41	68781.5	277052.5	68781.5	277052.5
42	68781.5	277052.5	68781.5	277052.5
43	68781.5	277052.5	68781.5	277052.5
44	68781.5	277052.5	68781.5	277052.5
45	68781.5	277052.5	68781.5	277052.5

VILLAGE	BLANCE
39	1.32
41	1.32
42	1.32
114	1.32
115	1.32
116	1.32
138	1.32
149	1.32

INDEX	REMARKS
1	11
2	11
3	11
4	11
5	11
6	11
7	11
8	11
9	11
10	11

(महेश चन्द गुप्ता)
 जय बान संरक्षक
 (आर. के. सोनी)
 अधिराजी अभियन्ता
 सानि.वि. खण्ड शाहबाद

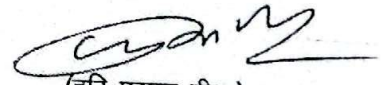
Prepared by	
Checked by	
Approved by	
Date	

कार्यालय अधिशाषी अभियन्ता सा.नि.वि. खण्ड शाहाबाद जिला बारां
ईमेल :- pwd_shahabad@rediffmail.com

अभिलिखित सहमति (अन्डरटेकिंग)

कार्य का नाम :- BT Road From Jalwara to Kishanpura under RRSMP
Proposal No. FP/RJ/Road/6954/2014 (2.96 Ha.)

प्रमाणित किया जाता है कि सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्तानुसार सक्षम स्तर से यदि एन.पी.वी. की दरों में बढ़ोत्तरी होती है तो बढ़ी हुयी धन राशि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा जगा की जायेगी।



(हरि प्रसाद मीना)
अधिशाषी अभियन्ता
सा.नि.वि. खण्ड शाहाबाद

RajKaj Ref
8910419

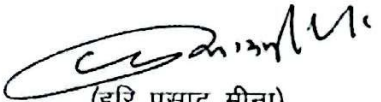
कार्यालय अधिशाषी अभियन्ता सा.नि.वि. खण्ड शाहाबाद जिला बारां

ईमेल :- pwd_shahabad@rediffmail.com

अभिलिखित सहमति (अन्डरटेकिंग)

कार्य का नाम :- BT Road From Jalwara to Kishanpura under RRSMP
Proposal No. FP/RJ/Road/6954/2014 (2.96 Ha.)

प्रमाणित किया जाता है कि सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त सं. 5 की अनुपालना में वन क्षेत्र का सीमा रतम्भों द्वारा सीमांकन प्रयोक्ता अभिकरण के व्यय पर किया जाएगा। यह सीमांकन 4 फीट ऊंचे आर.सी.सी. पीलरों से करवाकर गैर वन भूमि का हस्थानान्तरण वन को कर दिया जायेगा। प्रतिलिपि संलग्न कर दी गई है।


(हरि प्रसाद मीना)
अधिशाषी अभियन्ता
सा.नि.वि. खण्ड शाहाबाद

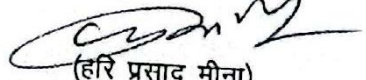
RajKaj Ref
8910419

कार्यालय अधिशाषी अभियन्ता सा.नि.वि. खण्ड शाहाबाद जिला बारां
ईमेल :- pwd_shahabad@rediffmail.com

अभिलिखित सहमति (अन्डरटेकिंग)

कार्य का नाम :- BT Road From Jalwara to Kishanpura under RRSMP
Proposal No. FP/RJ/Road/6954/2014 (2.96 Ha.)

प्रमाणित किया जाता है कि जलवाड़ा से किशनपुरा सड़क भराव (Embankment) में बनायी जावेगी। सड़क में कोई कटिंग प्रस्तावित नहीं है, सड़क निर्माण सामग्री बाहर से परिवहन कर लायी जानी है। इस प्रकार सड़क निर्माण में किसी तरह का मक उत्पादित नहीं होगा। अतः सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त सं. 6 की अनुपालना में मक डिस्पोजल योजना की आवश्यकता नहीं होगी।


(हरि प्रसाद मीना)
अधिशाषी अभियन्ता
सा.नि.वि. खण्ड शाहाबाद

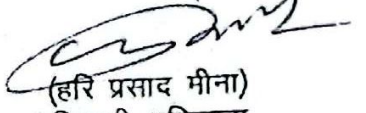
RajKaj Ref
8910419

कार्यालय अधिशाषी अभियन्ता सा.नि.वि. खण्ड शाहाबाद जिला बारां
ईमेल :- pwd_shahabad@rediffmail.com

अभिलिखित सहमति (अन्डरटेकिंग)

कार्य का नाम :- BT Road From Jalwara to Kishanpura under RRSMP
Proposal No. FP/RJ/Road/6954/2014 (2.96 Ha.)

प्रमाणित किया जाता है कि सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त सं. 7 की अनुपालना में सड़क के दोनों तरफ तथा Median पर (यदि उपलब्ध है तो) वन विभाग की निगरानी में वृक्षारोपण किया जायेगा, परन्तु वृक्षारोपण का प्रावधान विभाग के स्वीकृत तकमीने में नहीं लिया गया है।


(हरि प्रसाद मीना)
अधिशाषी अभियन्ता
सा.नि.वि. खण्ड शाहाबाद

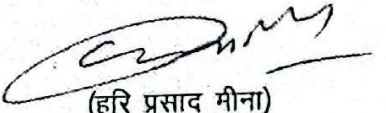
RajKaj Ref
8910419

कार्यालय अधिशाषी अभियन्ता सा.नि.वि. खण्ड शाहाबाद जिला बारां
ईमेल :- pwd_shahabad@rediffmail.com

अभिलिखित सहमति (अन्डरटेकिंग)

कार्य का नाम :- BT Road From Jalwara to Kishanpura under RRSMP
Proposal No. FP/RJ/Road/6954/2014 (2.96 Ha.)

प्रमाणित किया जाता है कि सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त सं. 8 की
अनुपालना में प्रयोक्ता अभिकरण एवं राज्य सरकार वर्तमान तथा भविष्य में योजना पर लागू
सभी नियम, कानून तथा दिशा निर्देशों का पालन करेगी।


(हरि प्रसाद मीना)
अधिशाषी अभियन्ता
सा.नि.वि. खण्ड शाहाबाद

RajKaj Ref
8910419

for life?

special courts to fast-track trial in these pending cases, the states of Andhra Pradesh, Madhya Pradesh, Tamil Nadu, Telangana and West Bengal had set up just one special court each for such cases.

The amicus said one of the reasons for delay in trial was that the accused exerted money and muscle power to influence witnesses who turned hostile and suggested that the court direct authorities to strictly implement witness protection measures. Moreover, there are cases where non-bailable warrants issued by trial courts in the presence of the legislators are not exe-

Full report on www.toi.in

an now nations

For decades, the Sangat world- to serve there. Modi govern- to allow FCRA (licence) to the Sachib deepens the connect of the Sangat globally and the Sri A. blessed moment!", he tweet-

Minister Shri Narendra Wahe Guru Ji has taken The decision on FCRA at the Sachib is a pathbreaking

case said Sachikhand Sachib. Sri Darbar Sahib, for registration under 2010. On Thursday, the deci- it is an association of "reli- under FCRA, was communi- The registration shall remain after which it can be re-

Health insurance scheme for J&K

Srinagar: The Jammu and Kashmir administration has launched a health insurance scheme for all residents of the Union Territory who are not covered by PM-JAY.

LT Governor Manoj Sinha said at a press conference here on Friday that the scheme will ensure a health cover of Rs 5 lakh per family to over 70 lakh people across the UT, who are not covered under the Ayushman Bharat Pradhan Mantri Jan Arogya Yojana (ABPM-JAY).

"In all, 70 lakh people will be covered under the new health insurance scheme, irrespective of their income," he said.

The scheme will be launched on October 2 with the commencement of the 'Back of Village' programme. The scheme will cover 15 lakh families across the UT, and will be implemented through Bajaj Allianz Insurance Company for three years with an insurance premium of Rs 849 per family per year.

The scheme will have a portability option so that the intended beneficiaries can avail of cashless service from healthcare providers across the country. At present, there are 23,300 hospitals across India where the facility can be availed, including 218 public and private hospitals already empanelled in J&K. IANS

भारत सरकार	
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय	
क्षेत्रीय कार्यालय (मध्य)	
Ministry of Environment, Forest and Climate Change	
Regional Office (Central Region)	
केंद्रीय भवन, पंचम तल, सेक्टर-एच, अलीगंज, लखनऊ- 226024 Kendriya Bhawan, 5th Floor, Sector-H, Aliganj, Lucknow-226024 Telefax : 2326696, 2324340, 2324047, 2324025 Email : (Env.)m_env@rediffmail.com, (Forest) goimoeofolk@gmail.com	
पत्र सं. वन/राज./06/04/2015/एफ.पी./294	दिनांक : 23.08.2016
सेवा में, प्रमुख सचिव (वन), सिविल सचिवालय, राजभवन प्रान्त लखनऊ।	
ऑनलाईन आवेदन संख्या - FP/RJ/Road/6954/2014	
विषय :-	जनपद बारा में आर.आर.एम.पी. योजना के तहत जलवायु संकलनपुरा तक सड़क निर्माण हेतु 2.96 हे. वन भूमि के प्रस्तावित वन भूमि के पानन की अनुमति हेतु।
सन्दर्भ :-	अति. प्रधान मुद्रा वन संरक्षण एवं नोडल अधिकारी, जयपुर का पत्रांक- एफ 14 (Baran Road)/2014/ एफ.पी.व./प्रमुख/1955, दिनांक 06.07.2016
प्रस्ताव, ज्योक्त विषय पर संदर्भित ऑनलाईन आवेदन का आशय ग्रहण करने का कष्ट कर, जिसके द्वारा विधायित प्रस्ताव पर वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 की धारा (2) के अन्तर्गत भारत सरकार की स्वीकृति मांगी है एवं अतिरिक्त सूचना दिनांक 09 फरवरी, 2016 को ऑनलाईन फलस्वरूप कराया गया है। प्रकरण में विचारोपरान्त मुद्दे आपको यह सूचित करने का निर्देश हुआ है कि केंद्र सरकार जनपद बारा में आर.आर.एम.पी. योजना के तहत जलवायु संकलनपुरा तक सड़क निर्माण हेतु 2.96 हे. वन भूमि के प्रस्तावित एवं वन भूमि के पानन की सैद्धान्तिक स्वीकृति निर्गमित शर्तों पर प्रदान करती है :-	
1. वन भूमि की वैधानिक स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होगा। 2. प्रस्तावित अधिकरण द्वारा वन विभाग के पक्ष में प्रभावित वन क्षेत्र के समतुल्य गैर वन भूमि अर्थात् 2.96 हे. पर क्षतिपूर्क वृक्षारोपण एवं 10 वर्षों तक रक्षारक्षक हेतु आवश्यक धनराशि (प्रचलित दरों को समाहित करते हुए यथा संशोधित रुपये 3,82,284/- (2.96 हे. x रुपये 1,29,150 प्रति हे.) कैप्पा, नई दिल्ली में समाकी जायेगी। ऊक्त भूमि वन विभाग को सौंपा जायेगी कि वह वन विभाग के पक्ष में हस्तान्तरण एवं वापान्तरण किया जायेगा तथा इस भूमि को छ. माह में आगश्चर/संरक्षित वन भूमि घोषित किया जायेगा। भूमि का हस्तान्तरण एवं वापान्तरण करने के पश्चात् इस कार्यालय द्वारा विधिवत् स्वीकृति प्रदान की जायेगी। 3. क्षतिपूर्क वृक्षारोपण हेतु जो समर्पित क्षेत्र (103.4 हे.) किया गया है, उसका डिजिटल मानचित्र नोडल अधिकारी द्वारा अपलोड किया जायेगा। 4. प्रयोक्ता अधिकरण द्वारा मानवीय कल्याण न्यायालय के रिट पिटीशन (सिविल) 202/1995 के अन्तर्गत आई.ए. संख्या 866 एवं भारत सरकार के पत्र संख्या 5-3/2007-एफ.पी. दिनांक 05.02.2009 के तहत में दिये गये आदेशानुसार शृद्ध क्षेत्रान पुनर् (एन.पी.सी.) की विशिष्टता राशि रुपये 18.52 लाख (2.96 हे. x रुपये 6.26 लाख प्रति हे.) जमा की जायेगी। इसके उपरान्त बाकती को छायापति जमा की गयी धनराशि की ऑनलाईन सीट/बैंक द्राफ्ट/आर.टी.जी.एस.एन.ई.एफ.टी. (जो भी स्वीय हो) की छायापति सहित सैद्धान्तिक स्वीकृति की अनुपालन आदेश (जिसमें उक्त की गयी धनराशि का महत्तर विवरण अर्थात् एन.पी.सी. क्षतिपूर्क वृक्षारोपण तथा अन्य हेतु जमा धनराशि का विवरण दिया गया हो) प्रेषित की जाये, जहाँपान्त ही विधिवत् स्वीकृति पर विचार किया जायेगा। 5. विधिवत् स्वीकृति की बात प्रस्तावित वन क्षेत्र का प्रोफा सातों द्वारा सौंपा धन प्रयोक्त अधिकरण के पक्ष पर किया जायेगा। यह सौंपा 4" फीट ऊंचे आ.पी.सी. पोलों में किया जायेगा। जिसमें प्रत्येक पोल पर क्रमशः जो भी पी.एस. निर्देशांक Backward and Forward bearing एवं अपने निकटवर्ती पोलों में दूरी दर्शायी जायेगी। 6. प्रयोक्त अधिकरण द्वारा एक डिप्लोम वीजना प्रभावीय सचिवकारी द्वारा स्वीकृत करारक द्वारा स्वीकृत वन क्षेत्र प्रेषित की जायेगी। 7. प्रयोक्त अधिकरण इस आशय का सचिवबद्ध पत्र प्रस्तुत करेगा कि आई.आर.एम.पी. योजना के तहत जलवायु संकलनपुरा तक सड़क निर्माण हेतु 2.96 हे. वन भूमि के प्रस्तावित वन भूमि के पानन की अनुमति हेतु। 8. प्रयोक्त अधिकरण द्वारा यह सचिवबद्ध पत्र प्रस्तुत करेगा कि आई.आर.एम.पी. योजना के तहत जलवायु संकलनपुरा तक सड़क निर्माण हेतु 2.96 हे. वन भूमि के प्रस्तावित वन भूमि के पानन की अनुमति हेतु।	

ge
at, India
ammedical.edu.in

et of 3 months
bad Municipal Corporation Health/
Medical College, Ahmedabad, for
in interview of following posts are

be downloaded from the link

कार्यालय उप वन संरक्षक, बारां

E-mail: dc(l.brn.forest@rajasthan.gov.in, Tel.No., 07453&230244

क्रमांक 0 एफ ()/एफ.सी.ए./ उ.म.स./2022-23/ 520

दिनांक 22/11/24

निमित्त:-

अधिशायी अभियन्ता

रा.0 नि.0 खण्ड शाहवादा।

विषय: जनपद बारा में आर.आर.एस.एम.पी. योजना के तहत जलवाड़ा से किशनपुरा सड़क के निर्माण हेतु 2.96 हे० वन भूमि प्रत्यावर्तन के काम में

Proposal ID NO - FP/RJ/ ROAD/6954/2014 (2.96 ha)

संदर्भ:- भारत सरकार वन एवं पर्यावरण मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय लखनऊ का पत्र क्रमांक 254 दिनांक 23.08.2016 के काम में

महोदय

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि जलवाड़ा से किशनपुरा सड़क के निर्माण हेतु 2.96 हे० वन भूमि प्रत्यावर्तन की प्रथम स्तरीय सैद्धान्तिक स्वीकृति भारत सरकार वन एवं पर्यावरण मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय लखनऊ का पत्र क्रमांक 254 दिनांक 23.08.2016 को जारी की गई थी।

1. सैद्धान्तिक स्वीकृति में अंकित बिन्दु संख्या - 2 के काम में क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण हेतु धन राशि

क्र. सं.	सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त के अनुसार वेज रेट @252 से चाही गई राशि			सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त के अनुसार वेज रेट @259 से चाही गई राशि			जमा राशि	अवशेष राशि जो जमा करानी है।
	क्षेत्रफल	दर	राशि	क्षेत्रफल	दर	राशि		
1	2.96	164100	485736	2.96	198000	586080	485736	100344

2. बिन्दु संख्या - 5 के (ग) के काम में NPV की राशि

क्र. सं.	सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त के अनुसार तत्समय प्रचलित दर से चाही गई राशि			सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त के अनुसार NPV की वर्तमान नवीन दर से चाही गई राशि			जमा राशि	अवशेष राशि जो जमा करानी है।
	क्षेत्रफल	दर	राशि	क्षेत्रफल	दर	राशि		
1	2.96	626000	1852960	2.96	957780	2835029	1852960	982069

3. FCA उल्लंघन के काम में MDEF के परिपत्र दिनांक 29.01.2018 के अनुसार दण्डात्मक राशि

a) उल्लंघन की दिनांक - 19.08.2020

b) कुल प्रभावित क्षेत्रफल - 18348 हे०

c) NPV की राशि - 957780 प्रति हेक्टर

d) शास्त्री की गणना 19.08.2020 से 31 दिसम्बर 2023 तक

$$1.8348 \times 4 \times 957780 = 7029339/-$$

e) यदि प्रस्ताव जन उपयोगी है तो गणना की राशि का 20% शास्त्री के रूप में देय होगा इस प्रकार राशि जो जमा कराई जानी शेष है।

$$7029339 \times (20/100) = 1405868$$

RajKaj Ref
8910419

Scanned by CamScanner

4- कुल राशि का विवरण

उ.स.	मद का नाम	चाही गई राशि	पूर्व में जमा राशि	अवशेष राशि जो जमा करानी है।
1	क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण हेतु धन राशि	586080	485736	100344
2	NPV की राशि	2835029	1852960	982069
3	दण्डातमक राशि	1405868	0	1405868
	योग	4826977	2338696	2488281

अतः अब कुल जमा होने वाली राशि $100344 + 982069 + 1405868 = 2488281$ रु. केम्पा मद Online e- portal (<https://parivesh.nic.in/>) में जमा करवाकर रसीद इस कार्यालय में प्रेषित करे ताकि प्रकरण में अग्रिम कार्यवाही की जा सके।

(दीपक कुमार गुप्ता)
उप वन संरक्षक
बारां

दिनांक

क्रमांक 0 एफ ()/एफ.सी.ए./उ.व.स./2022-23/
प्रतिलिपि:- निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-
1. अति.प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी (एफ.सी.ए) राजस्थान जयपुर।
2. संभागीय मुख्य वन संरक्षक, कोटा।
3. अधीक्षण अभियन्ता सा0नि0वि0बारां।

(दीपक कुमार गुप्ता)
उप वन संरक्षक
बारां

RajKaj Ref
8910419

Scanned by CamScanner